खण्ड-408, अंक-4
सोमवार, 29 अग्रहायण, शक संवत् 1915
(20 दिसम्बर, 1993 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(बारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1993)

खण्ड 408 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

1993

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क
पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना–(जारी) ..	1
प्रश्नोत्तर	2–3
पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना–(जारी)	4–7
श्री मनोहर लाल, मंत्री द्वारा एक लिफाफा बार-बार सदन में दिखाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न	8–12
पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना–(जारी)	13–21
नियम 311 के अन्तर्गत उठायी गयी सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न–(जारी)	22
पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना–(जारी)	23–27
नियम 311 के अन्तर्गत उठायी गयी सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ..	28–29
पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना	30
नियम 311 के अन्तर्गत सूचनायें	31
वाराणसी नगर के दक्षिणी क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां के सभी नलकूपों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	32
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद फैजाबाद के थाना अमानीगंज (खण्डासा) के कतिपय गांवों में दलितों एवं हरिजनों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33

विषय	पृष्ठ-संख्या
स्वास्थ्य विभाग के अभियंत्रण सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	33
जनपद पिथौरागढ़ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से आम जनता को खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो पाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ..	34
औचित्य के प्रश्न की सूचनायें	35
विधान सभा की विभिन्न समितियों के लिये सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव–(स्वीकृत) ..	36
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव–(स्वीकृत) ..	37
उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव–(स्वीकृत)	37
उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993–(पुरःस्थापित किया गया) ..	38
उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993.....(पुरः स्थापित किया गया)	38
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव–(जारी)	38
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993–(पुरःस्थापित किया गया) ..	38
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) विधेयक, 1993–(पुरःस्थापित किया गया)	39
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993–(पुरःस्थापित किया गया)	39
वित्तीय वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुदान ..... (प्रस्तुत) ..	40
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें –	40

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 1993

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अखिलेश, श्री	महराजगंज	नरेन्द्र सिंह, श्री	मैनपुरी
अ० रईस, श्री	सुल्तानपुर	परशुराम, श्री	फैजाबाद
उर्मिला देवी यादव, श्रीमती	मैनपुरी	महेन्द्र अरिदमन सिंह राजा, श्री	आगरा
उर्मिला राजपूत, श्रीमती	फर्रुखाबाद	राजबीर सिह, श्री	अलीगढ़
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर	रानी देव लता, श्रीमती	सहारनपुर
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राम कुमार शुक्ल, श्री	लखनऊ
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद	राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	फर्रुखाबाद
चन्द्र भूषण सिंह उर्फ मुन्नू बाबू, श्री	फर्रुखाबाद	रिजवान जहीर उर्फ रिज्जू भइया, श्री	गोण्डा
जगरनाथ चौधरी, श्री	जौनपुर	विक्रमा सिंह, श्री	बलिया
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर	विजय सिंह, श्री	सोनभद्र
दरोगा, श्री	आजमगढ़	शारदा प्रसाद जायसवाल, श्री	महराजगंज
नरेन्द्र सिंह, श्री	मेरठ	सज्जन पाल सिंह उर्फ रज्जन पाल सिंह, श्री	एटा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 20 दिसम्बर, 1993

(विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री धनीराम वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुयी ।)

पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना–(जारी)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने 311 में आपको एक सूचना दी है । मैं आपके संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि पिछले आम चुनाव.....

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज मात्र दो अल्पसूचित प्रश्न हैं इन दो अल्पसूचित प्रश्नों का 10 मिनट में निस्तारण हो जायेगा, उसके बाद उठा लीजियेगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

नियम 311 का मतलब जो है उसमें हम चाहते हैं कि नियमों को निलम्बित करके इस महत्वपूर्ण विषय को सदन के संज्ञान में लायें । पहले बात सुन लीजिये यह सवाल अपनी जगह पर होते रहेंगे । आज एक गम्भीर स्थिति पैदा हो गयी है । पिछले आम चुनावों में सर्वाधिक मतों से एक अकेली पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहां पर आई है .....

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्ता जी आप सुन लें (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

विपक्ष के नेता के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी को मान्यता प्राप्त है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न ले लीजिये उसके बाद उठा लीजिये । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

फर्जी और मनगढ़ंत आरोप लगाकर कारावासित कर दिया गया है जो आपके संज्ञान में है । पिछले साल 6 दिसम्बर को जब विवादित ढांचा ढहा उसके बाद 8 तारीख को हमारे नेता पकड़े गये .....(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है (व्यवधान)

माध्यमिक शिक्षा एवं बैसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

उत्तर पढ़ने के लिये खड़े होने पर (घोर व्यवधान) मान्यवर, बेसिक प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की हाजिरी सुनिश्चित (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

8 दिसम्बर को नेताओं के पकड़े जाने के बाद (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने अनुमति नहीं दी है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उन पर आरोप सिद्ध न होने पर बिना शर्त उन्हें रिहा कर दिया गया। फर्जी आरोप उन पर लगाये गये, वे बिल्कुल बेकसूर हैं, उनके खिलाफ कोई गवाही नहीं है, कोई सबूत नहीं है। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

पहले प्रश्न हो जायं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं निवेदन कर रहा हूं कि केन्द्र सरकार ने फर्जी मुकदमों में बन्द किया है कोई गवाही देने के लिये नहीं आया (व्यवधान) माननीय कल्याण सिंह जी को शपथ दिलाने के लिये सदन में नहीं लाया गया जब कि इसके पूर्व अनेकों अपराधियों को जो असामाजिक तत्व रहे यहां सदन में लाया गया। हमारी मांग है कि उनको सदन में प्रस्तुत किया जाय उन पर कोई आरोप नहीं है यह सरकार केन्द्र सरकार पर बल दे, दबाव डाले, उनके विरुद्ध फर्जी मुकदमें वापस लिये जायं। हम शांति से सदन को चलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिन लोगों को फर्जी मुकदमों में बन्द किया गया है उनको वापस लिया जाय। जो आरोप लगाये गये हैं उनमें कोई सार नहीं है इसी कारण उनको माताटीला से छोड़ दिया गया। कोई सारवान तथ्य सरकार के पास नहीं है (व्यवधान) राजनीतिक द्वेषवश उनको गिरफ्तार किया गया है।

(घोर व्यवधान)

मैं अपनी बात पर बल देता हूं कि नियमों का आप निलम्बन करें। (व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग अपने-अपने आसन पर बैठ जाएं। (व्यवधान)

प्रश्नोत्तर

बेसिक प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने हेतु व्यापक कार्य योजना

श्री हृदय नारायण–

**1–क्या शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने हेतु नई सरकार ने कोई एक्शन प्लान तैयार किया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

माध्यमिक शिक्षा तथा बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (श्री शारदा नन्द अंचल)–

बेसिक प्राइमरी स्कूलों में अध्यापकों की हाजिरी सुनिश्चित कराये जाने के प्रयोजनार्थ नई सरकार द्वारा अभी कोई व्यापक "कार्य योजना" तैयार नहीं की गई है किन्तु शासनादेश दिनांक 15 दिसम्बर, 1993 द्वारा इस आशय के निर्देश जारी कर दिये गये हैं कि प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं सहायक बालिका विद्यालय निरीक्षिका सम्बन्धित ब्लाक स्तर पर रह कर प्राइमरी तथा जूनियर हाई स्कूलों के निरीक्षण तथा अनुशासन आदि से सम्बन्धित दायित्वों का निर्वहन करें। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक शिक्षा अधिकारी की तैनाती और संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के आलोक में वर्तमान शिक्षा प्रणाली को और अधिक उत्तरदायित्वपूर्ण बनाने तथा उसे विकेन्द्रीयकृत करने का प्रस्ताव भी शासन के विचाराधीन है।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री शारदा नन्द अंचल ने अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 का पूरा उत्तर पढ़ा)

(बी० जे० पी० की तरफ से नारे लगाये गये कि लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

(व्यवधान) आप नियमों के निलम्बन के बारे में व्यवस्था दें.....।

(घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग व्यवधान न पैदा करें।

प्रदेश में "नकल विरोधी अध्यादेश" अधिनियम का निरसन एवं नकल में पकड़े गये छात्रों की संख्या तथा चलाये गये मुकदमों की वापसी की जानकारी

**2–श्री नरेश अग्रवाल, श्री अमित अग्रवाल एवं श्री जगदम्बिका पाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "नकल विरोधी अध्यादेश" जब से उत्तर प्रदेश में लागू हुआ तब से अब तक कितने छात्र/छात्रायें नकल करते पकड़े गये ? क्या यह सत्य है कि दिनांक 5-12-1993 को वर्तमान सरकार ने नकल विरोधी अध्यादेश वापस ले लिया है ? यदि हां, तो नकल रोकने की सरकार ने क्या वैकल्पिक व्यवस्था की है ? यदि नहीं की, तो क्यों ? क्या सरकार छात्र/छात्राओं के विरुद्ध दायर मुकदमों को वापस ले रही है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री शारदानंद अंचल–

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम 1992 के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 1992 तथा 1993 की परीक्षाओं में क्रमशः 10,399 तथा 11,736 कुल 22,135 छात्र/छात्रायें पकड़े गये हैं।

दिनांक 6-12-93 को उक्त अधिनियम निरसित किया गया। नकल रोकने हेतु आवश्यक नियमों की व्यवस्था माध्यमिक शिक्षा परिषद् के विनियमों में उपलब्ध है। इस सम्बन्ध में प्रत्येक जनपद को परीक्षा केन्द्रों की संख्या के आधार पर सेक्टरों में बांट कर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति तथा अतिरिक्त सचल दलों का गठन कर परीक्षा के दौरान परीक्षा केन्द्रों के प्रभावी निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता ।

मुकदमें वापस लिये जाने हेतु वांछित निर्देश जिलाधिकारियों को दे दिये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी उत्तर दें । (व्यवधान)

(घोर व्यवधान के मध्य श्री शारदानंद अंचल ने उत्तर पढ़ा)

(लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । लूली लंगड़ी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी । जनतंत्र विरोधी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाये जाते रहे)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन की कार्यवाही आधे घन्टे के लिये स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् श्री अध्यक्ष ने 11 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही आधा घण्टे के लिए स्थगित कर दी । 11 बजकर 38 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (क्रमागत)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह आज का बड़ा गम्भीर विषय है । पिछले आम चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त भारतीय जनता पार्टी और आपके द्वारा जिन्हें नेता विरोधी दल की मान्यता दी गई, उस हमारी पार्टी के नेता माननीय कल्याण सिंह जी को राजनैतिक विद्वेष की भावना से, बदले की भावना से मनगढ़न्त आरोप लगाकर कारावासित कर दिया गया है, और इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि अब तक की जो सदन की परिपाटी रही है कि आपराधिक चरित्र के लोगों को भी, जो कारावासित रहे हैं, उनको सदस्य की शपथ के लिए इस आदरणीय सदन में समय-समय पर लाया गया है । किन्तु हमारे इस सर्वमान्य नेता को और भूतपूर्व मुख्य मंत्री को सदन की सदस्यता की शपथ के लिए भी सदन में लाया जाना आवश्यक नहीं समझा गया है । [1]

मान्यवर, आप भलीभांति परिचित होंगे कि 6 दिसम्बर, 92 को जब वह विवादित ढांचा अयोध्या में ढहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को और हमारी पार्टी के अध्यक्ष और दूसरे महान नेताओं को 8 दिसम्बर को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद 34 दिन तक उन्हें माताटीला जेल के कठोर कारावास में रखा गया और 34 दिनों के बाद माताटीला के माननीय न्यायाधीश ने आरोप के कोई प्रमाण न मिलने पर उन्हें ससम्मान, बिना किसी शर्त के बरी कर दिया था । उन्होंने उन्हें बरी कर दिया था क्योंकि उनको उन लोगों के विरुद्ध कोई साक्ष्य, सारवान आरोप नहीं मिले थे । उसके बाद इन लोगों के खिलाफ लगातार । वर्ष तक मनगढ़न्त आरोपों को इकट्ठा किया गया और फिर एक चार्जशीट दी गई । इतना ही नहीं इसमें माननीय कल्याण सिंह को भी चार्जशीट दी गई जबकि पहले के मुकदमें में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[1] नोट :–नत्थी (क) के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 2 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

इन्हें नामित नहीं किया गया था । इस प्रकार चार्जशीट देकर हमारे इन बड़े-बड़े नेताओं को माननीय कल्याण सिंह सहित गिरफ्तार करके अन्यायपूर्ण ढंग से कारावासित किया गया है ।

यह सदन चल रहा है और आज नेता विरोधी दल हमारे बीच नहीं हैं । इसके पहले अब्दुल्ला बुखारी और दाऊद इब्राहीम पर न जाने कितने गम्भीर आरोप लगे हैं, पर उनको गिरफ्तार करके आज तक कारावासित करने की कोई कार्यवाही नहीं की गई है । उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करने की कोई गम्भीर आवश्यकता नहीं समझी गई है । मान्यवर, एक बात और मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं । चाहे केन्द्र सरकार हो और चाहे प्रदेश सरकार हो, उनके खिलाफ कोई भी उसके पास साक्ष्य नहीं हैं, इकट्ठे किये जा रहे हैं और जो पूर्व मंत्री हैं उनके खिलाफ जांच चल रही है । इस मामले में जांच के लिए जो लिब्राहन कमीशन केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था उसको भी बार-बार सूचना देने के बावजूद कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराये गये हैं, जिससे उनके आरोपों को सत्य ठहराया जा सके । इसलिए अब लिब्राहन कमीशन ने सरकार को चेतावनी दे दी है कि बार-बार लिखे जाने पर भी इसमें कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, लोग सामने नहीं आ रहे हैं,

सी०बी०आई० या केन्द्र सरकार की ओर से कोई भी सारवान साक्ष्य प्रस्तुत नहीं है । इसलिए उन्होंने कह दिया है कि अगली तारीख तक कोई भी साक्ष्य न आने पर आयोग मामले को समाप्त कर देगा और आपको अपनी रिपोर्ट दे देगा यानी कि इनके विरुद्ध कोई मामला नहीं बनता है । तो मैं इसके माध्यम से मान्यवर, आपसे और सरकार से मांग करता हूं कि इस सदन में माननीय कल्याण सिंह को तुरन्त लाया जाए, ससम्मान बरी कर उन्हें यहां लाया जाय और उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अवसर दिया जाए । उनके खिलाफ सारे आरोप निराधार हैं, मनगढ़न्त हैं । इस मामले में सरकार की ओर से यह कहा जाएगा कि यह मामला केन्द्र सरकार या सी० बी० आई० का है और उसमें केन्द्र सरकार की ओर से सी०बी०आई० ने सारी जांच पड़ताल की है । लेकिन यह मामला हमारे उत्तर प्रदेश का है और प्रदेश में हुई एक घटना से सम्बन्धित है, इसलिए मुख्य मंत्री को पहल करनी चाहिए कि वह केन्द्र सरकार को लिखें कि मैं चाहता हूं कि यह मामला अब यहीं समाप्त कर दिया जाए और वापस लिया जाए और एक सामान्य वातावरण में, सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर कार्यवाही चलाई जाए ।

राजनैतिक विद्वेष की बात मैंने इसलिए कही है कि पहले 10 नवम्बर, 93 को इस मामले में पेशी होनी थी जब चुनाव का समय था । तब न जाने कैसे उस तारीख को टाल दिया गया और जानबूझकर बाद की यह तारीख रखी गई यह सोचकर कि तब तक चुनाव सम्पन्न हो चुका होगा और नई सरकार का गठन हो चुका होगा । राजनैतिक कारणों से इन नेताओं को लांछित करने के लिए यह मामला रचा गया है । मान्यवर, यह आपके संज्ञान में लाकर निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इस पर बल दें, कल्याण सिंह जी को आदरणीय सदन में पूर्व परिपाटी के अनुसार लाया जाए और ससम्मान बरी कर उन्हें सदन की कार्यवाही में भाग लेने का मौका दिया जाए और इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री को पहल करनी चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकारा है ?

(व्यवधान)

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, नियम 311 के अन्तर्गत हम लोगों ने जो सूचना दी है वह एक महत्वपूर्ण मसला है जो माननीय सदन के समक्ष उपस्थित हुआ है । यह सत्र जो प्रारम्भ हुआ है, निर्वाचन के बाद जो नई सरकार बनी है और इस सदन में माननीय नेता विपक्ष के रूप में माननीय कल्याण सिंह जी को मान्यता दी गई है । भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़े दल के रूप में जो चुनाव में सबसे अधिक मत प्राप्त करके विजयी हुई है उसके नेता सदन में उपस्थित नहीं हैं । मान्यवर, जैसा कि उप नेता श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा कि राजनैतिक द्वेष के कारण मनगढन्त आरोप लगाकर माननीय कल्याण सिंह जी को जेल में डालने की एक साजिश की गई जिसके तहत वह आज कारावास में हैं इसीलिये हमने एक छोटी सी मांग की है कि जब सत्र चल रहा है और विधान सभा में वाक स्वातंत्र्य का अधिकार होने के कारण जब सदन की कार्यवाही चल रही है तो नेता विपक्ष के विचारों से यह सदन लाभान्वित होना चाहिए था ।

इसकी व्यवस्था मान्यवर, यह सरकार करती, परन्तु हर मौके को नकारा गया और टाला गया कि नेता विपक्षी दल सदन में न लाये जा सके । इस बात को लेकर हमारे मन में भी क्षोभ है । प्रदेश की जनता में भी आक्रोश है । एकांगी बनाकर सदन को चलाया जा रहा है । जैसा कि उप नेता माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा है मैं भी उस पर बल देना चाहता हूं । हम देखें कि हमारे प्रदेश में जिन लोगों ने अपराध के बड़े-बड़े काम किये ऐसे लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया । दाऊद इब्राहीम, अब्दुल्ला बुखारी, क्वात्तोचा और हिन्दुजा जैसे लोगों के खिलाफ क्या किया गया जिन्होंने चुनौती तक दी थी कि देखें कौन सी फोर्स हमें गिरफ्तार करती है और जिनके खिलाफ कोई आरोप नहीं थे उनके खिलाफ मनगढ़न्त आरोप लगाकर मुकदमे कायम कर दिये गये । माननीय कल्याण सिंह जी का नाम प्राथमिकी में दर्ज नहीं था उनके खिलाफ मनगढ़न्त आरोप लगाकर उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया ।

हमने मांग की है कि सदन में यह व्यवस्था की जानी चाहिए कि माननीय कल्याण सिंह जी हमारे बीच में आयें यह सदन तभी ठीक प्रकार से चलेगा । उन्हें ससम्मान बिना शर्त इस सदन में लाया जाय । तीन दिन बैठक और चलेगी । जैसा हमारे उप नेता जी ने कहा मैं भी विशेष तौर से कहना चाहूंगा कि आप राज्य सरकार को, मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये निर्देशित करें कि केन्द्र सरकार ने जो मनगढ़न्त आरोप सी०बी०आई० के द्वारा लगवाये गये हैं, जो केस बनाया गया है, वह केस वापस लिया जाय, माननीय कल्याण सिंह जी को ससम्मान रिहा किया जाय । सारा देश जानता है कि जनवरी-फरवरी में माताटीला से सभी नेता ससम्मान बिना शर्त रिहा किये गये थे । सब जानते हैं कि उनके ऊपर कोई आरोप नहीं था । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि इस बात की व्यवस्था की जाय कि माननीय कल्याण सिंह को ससम्मान बिना शर्त सदन में लाया जाय और सरकार अपनी ओर से केन्द्र सरकार से यह आग्रह करे कि यह आरोप गलत हैं, यह मुकदमा वापस लिया जाय ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जिस तरह से सदन की कार्यवाही चलने के लिये अभी निश्चय हुआ है उसी तरह से कार्यवाही चलने दें । अव्यवस्था न करें ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही आदर के साथ आपसे कहना चाहूंगा कि सदन की दो ही शोभा होती है नेता सदन और नेता विपक्षी दल । सदन चले और नेता सदन या नेता विपक्षी दल उपस्थित न हों तो अच्छा प्रतीत नहीं होता है ।

(विपक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

मान्यवर, हम ऐसे देश में रहते हैं जहां कानून का शासन है । दुनिया का कोई भी आदमी कानून से ऊपर नहीं हो सकता है ।

(सत्ता पक्ष की तरफ से मेजें थपथपाई गईं)

इस प्रकरण में मैं कहना चाहूंगा, बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, माननीय कल्याण सिंह जी को किसी ने नहीं रोका, न सी०बी०आई० ने उनके जमानत पर जाने का विरोध किया मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है थोड़ी सी सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए ही उन्होंने ऐसा किया है ।

(सत्तापक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

कल्याण सिंह जी ने डकैती नहीं डाली लेकिन भारत के हजारों लोगों के अमन-चैन को खत्म कर दिया–

(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने कहा है उसको मैंने ध्यानपूर्वक सुना है । मैं आग्रह करूंगा कि वह अपने दल के लोगों से कह दें कि वह टोका-टाकी न करें, अन्यथा इस सदन में कभी [×××] बोल नहीं पायेंगे ।

(व्यवधान)

श्रीमती शशिबाला पुण्डीर–

यह धमकी दे रहे है इसको वापस लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी बात सुन रहा हूं । कृपया माननीय सदस्य बैठ जाएं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मेरा कहने का मात्र आशय यह है ।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

यह शब्दों को वापस लें, आशय न बतायें भाषा स्पष्ट है ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[×××] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अनुशासित है । मैं नहीं समझ पा रहा हूं फिर यह क्यों हो रहा है ।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर दूं –(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, दर्शक दीर्घा से कंकड़-पत्थर फेंके जा रहे हैं । इनको वहां से हटाया जाए

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मेरे कहने का आशय यह था कि यह बोलेंगे तो टोका-टाकी चलती रहेगी वह भी नहीं बोल पाएंगे ।

(व्यवधान)

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि अभी माननीय उप नेता भारतीय जनता पार्टी ने कहा झांसी में बाइज्जत बरी कर दिया गया ।

(व्यवधान)

मेरे ख्याल से शब्दों को तोड़ा मरोड़ा न जाय । पिछला रिकार्ड देख लिया जाय । पिछली बार मा० कल्याण सिंह जी हाजिर नहीं हुए थे । मैंने 16 साल वकालत की है फौजदारी की, मुझे कानून न सिखायें, (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बात में एक सत्यता होनी चाहिए । मजिस्ट्रेट ने यही कहा है कि आप मुचलका भर दें और चले जायें । इस पर सी० बी० आई० ने भी विरोध नहीं किया । लेकिन यह सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए यह नाटक कर रहे हैं । मान्यवर, कल्याण सिंह ने जनादेश यात्राओं में कहा था कि अगर 221 सीटों से हमारी पार्टी को कम सीटें मिली तो मैं सन्यास ले लूंगा । (व्यवधान) लेकिन अब जनादेश भी आ गया है और वह जनादेश इनकी पार्टी को नहीं मिला । 6 दिसम्बर को अयोध्या में जो कुछ हुआ वह एक अत्यन्त गम्भीर अपराध है और उसके अपराधियों की जगह इस माननीय सदन में नहीं है । बल्कि उनके लिए जगह भारत सरकार और राज्य सरकार की जेलों में है । मैं यह भी कहना चाहता हूं । मान्यवर, मेरा दल न्यायालय और भारतीय संविधान के प्रतिबद्ध है । मैं उन लोगों में नहीं हूं जो न्यायालय में झूठा शपथ-पत्र दाखिल करके अपनी बात से मुकर जायें । मेरे दल के कार्यकलाप ऐसे नहीं हैं ।

मैं याद दिलाना चाहता हूं कि माननीय राजेन्द्र कुमार जी को जब यहां पर भाजपा की सरकार थी और जहां इस समय आप बैठे हैं उस समय मैं वहां पर बैठा था और आप संसदीय कार्य मंत्री थे तब हमारी पार्टी के 3 सदस्य निर्वाचित हुए थे । मैंने जब उनको रिहा करने की बात उठाई तो राजेन्द्र कुमार जी (तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री) ने कहा था कि उनके खिलाफ मामला न्यायालय में विचाराधीन है इसलिए जब तक न्यायालय का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक कुछ नहीं किया जा सकता और वह सदस्य कोई कम मतों से नहीं जीते थे, बल्कि कल्याण सिंह से दो गुने मत से वह निर्वाचित हुए थे । जो जवाब आपने वहां बैठकर दिया था उससे आप मुकर क्यों रहे हैं ? सी० बी० आई० ने मुचलके का

विरोध नहीं किया । लेकिन आपने स्टंट बाजी के लिए मुचलका नहीं भरा । आपकी पार्टी के लोग एक ऐसी घटना में जेल भेजे गये हैं जो राष्ट्रीय शर्म का विषय है । जिसके कारण हजारों लोगों की जानें गयीं और इसके लिए आपको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए । (व्यवधान) आप जिस घटना के सम्बन्ध में जेल भेजे गये हैं, मेरा और मेरे दल का विश्वास है कि 6 दिसम्बर की घटना के संबंध में जो दोषी हैं उन्हें कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा दी जानी चाहिए । यही नहीं मैं तो यह आग्रह करना चाहता हूं कि कानून के अनुसार यदि वह दोषी हैं तो माननीय नेता सदन को प्रस्ताव लाकर, ऐसे सदस्यों को विधान सभा से निलम्बित करके, उनकी सदस्यता समाप्त करनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में कहें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सदन में यह मांग उठायी गयी थी कि गन्ने के मूल्य का भुगतान किया जाय तो आपने वहां पर बैठकर कहा था कि हम न्यायालय के मामले में दखल नहीं देंगे । आज हम कहना चाहते हैं कि न्यायालय के मामले में दखल न दिया जाय, संविधान की राह में दखलंदाजी और रोड़े अटकाये गये तो इधर बैठी हुई धर्म निरपेक्ष ताकतें उसका मुकाबला करेंगी । मेरा निवेदन है कि 6 दिसम्बर की घटना के दोषी लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय, हम आपके साथ हैं । इसमें राजनीतिक सौदेबाजी और राजनीतिक नाटकबाजी न की जाय । न्यायपालिका में जो प्रकरण विचाराधीन है उस पर सरकार या सदन को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसको अस्वीकृत किया जाय ।

(श्री राम आसरे वर्मा को पुकारे जाने पर)

(शोर)

श्री मनोहर लाल, मंत्री द्वारा एक लिफाफा बार-बार सदन में दिखाये जाने पर व्यवस्था का प्रश्न

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ।

(शोर)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाने के लिए आपका ध्यान आकर्षित किया है ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी एक लिफाफा दिखा रहे हैं । माननीय मनोहर लाल जी एक लिफाफा दिखा रहे हैं । इसको संज्ञान में लिया जाय । (शोर) इसमें लिखा है 16 दिसम्बर को.....

(शोर)

(पशुधन एवं मत्स्य मंत्री ने अपनी सीट पर बैठे-बैठे एक कागज दिखाया ।)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सदन में एक लिफाफा दिखाया जा रहा है । आप मान्यवर, इसको संज्ञान में लें । यह गम्भीर मामला है ।

(शोर)

मान्यवर, इसको आप मंगाइये ।

(व्यवधान के मध्य श्री राम आसरे वर्मा को पुकारे जाने पर)

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(घोर व्यवधान)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह तो हमारे सदन की नियमावली में है, अगर कोई माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता है, तो उसे आपको सुनने का अधिकार है । यह दुर्भाग्य की बात है कि आपकी दृष्टि उन माननीय सदस्य पर नहीं पड़ी । कृपया आप उनके व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें । मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न माननीय सदस्य गोरखपुर (श्री शिव प्रताप शुक्ल) और माननीय डंग साहब ने उठाया है । मान्यवर, इनको सुन लें, तब आगे की कार्यवाही चलायें, यह मेरी प्रार्थना है । मान्यवर, अगर व्यवस्था के प्रश्न पर नहीं सुनेंगे, तो सदन का संचालन कैसे होगा ? आप दोनों को सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नहीं चाहता कि बार-बार व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाय । मैं चाहता हूं कि जिन्होंने नोटिस दिया है, उस पर ज्यादा से ज्यादा राय आ जाय । ...

(घोर व्यवधान)

मैं नहीं चाहता कि ज्यादा से ज्यादा लोग व्यवस्था का प्रश्न उठायें, इससे मूल प्रश्न जो है, वह पीछे पड़ जायेगा । इसके बाद हम सुन लेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न सुन लें । हो सकता है कोई बहुत महत्वपूर्ण बात हो ।

(घोर व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमों के तहत सदन चलेगा या बिना नियमों के ? आप मेरी व्यवस्था को सुन लें।

(घोर व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, आपने राम आसरे वर्मा जी को बोलने के लिए कहा था, आप उनको बुलावें।

(घोर व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, सदन में एक महत्वपूर्ण विषय पर जब चर्चा हो रही थी, उस समय मंत्रि-परिषद् के एक सदस्य एक लिफाफे पर लिखकर बार-बार यह दिखा रहे थे, उसमें यह लिखा था कि 16 तारीख को न भूलें। इसका मतलब यह है कि आप हम लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक अपने विचार नहीं प्रकट करने देना चाहते हैं। अगर इस तरह का आचरण मंत्रि-परिषद् का सदस्य करेगा, तो क्या होगा ? कृपया इस पर व्यवस्था दें कि इस तरह का कागज जो कि धमकीपूर्ण है, कोई भी सदस्य विशेषकर मंत्रि परिषद् के सदस्य का सदन में दिखलाकर धमकी देते हुए सदस्यों के वाक् स्वातंत्र्य पर कुठाराघात कर सकते हैं ?

श्री जगदम्बिका पाल–

(व्यवधान के मध्य) 16 दिसम्बर नहीं 16 जनवरी है।

(व्यवधान)

डा० सरजीत सिंह डंग–

अगर धमकी पूर्ण बात लिखकर दिखायी जायेगी तो सदन चलना कठिन हो जायेगा।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आप सदन को नियमों के अनुसार ही चलावें।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, कृपया, सुन लें। ...

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, आप व्यवस्था का प्रश्न तो सुन लें।

(व्यवधान)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आप इस सदन को नियमों के अनुसार चलावें । आप नियमावली का नियम 299 देखें, जिसमें व्यवस्था है कि यदि कोई सदस्य सदन के किसी उपवेशन में सभा मण्डप के मध्य रिक्त स्थान में आकर सदन के सेवकों की मेज पर रखे पत्रादि को छीनता है या छीनने का प्रयास करता है अथवा उन्हें फाड़ता है या फाड़ने का प्रयास करता है अथवा कोई कागज पत्रावली आदि अध्यक्ष पीठ की ओर फेंकता है या फेंकने का प्रयास करता है अथवा अध्यक्ष पीठ पर चढ़ता है या चढ़ने का प्रयास करता है, तो अध्यक्ष अथवा पीठासीन सदस्य द्वारा ऐसे सदस्य का नाम पुकारे जाने पर, ऐसा सदस्य उक्त अधिवेशन के लिए सदन की सेवा से निलम्बित समझा जायेगा ।

(घोर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, सदन इस प्रकार से नहीं चलेगा ।

(श्री लाज कृष्ण गांधी तथा अन्य कई सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे–लूली लंगड़ी सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी)

(व्यवधान)

(विपक्ष की ओर से घोर व्यवधान तथा भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े हो गये)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को आधे घण्टे के लिए स्थगित करता हूं ।

(तत्पश्चात् 12 बजकर 15 मिनट पर श्री अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही 30 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी । 12 बजकर 45 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य सरजीत सिंह डंग ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया था उस संबंध में मुझे इतना ही कहना है कि यदि इस तरह की कोई घटना हुई तो अच्छी नहीं है, भविष्य में इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दें ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

डा० सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मेरा निवेदन है कि आपने यदि कह कर इस घटना की जो गम्भीरता है उस गम्भीरता को हल्का कर दिया है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, अब यह सरदार जी के कहने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपने जो व्यवस्था दी है वह शिरोधार्य है लेकिन जो घटना इस आरणीय सदन में सब सदस्यों के सामने घटी जिसको सभी सदस्यों ने देखा कि उन्होंने एक कार्ड दिखाया जिस पर लिखा था कि 16 तारीख न भूलें और उसके बाद पैर की तरफ इशारा किया । इसको मान्यवर, सभी सदस्यों ने देखा, मनोहर लाल जी भी इस बात को स्वीकार करते हैं । वह अभी चर्चा कर रहे थे कि मुण्डन की दावत थी उस पर 16 जनवरी लिखा हुआ था । कितना हास्यास्पद आचरण लग रहा है कि मुण्डन की दावत है और जूता दिखाकर । मान्यवर, मैं चाहता हूं कि सदन का वातावरण शान्तिमय रहे और सौहार्द्रपूर्ण वातावरण में सदन की कार्यवाही चले । (व्यवधान)

मान्यवर, मैं भी सरकार में था, 12-12 बजे तक सदन की कार्यवाही चलायी गयी है दिल खोलकर कहा गया है, सुना गया है । मैं तो कहना चाहता हूं और सुनना भी चाहता हूं लेकिन अगर कोई सदन का वातावरण विषाक्त करना चाहता है तो मैं उसकी निन्दा करता हूं और आपका भी परम दायित्व है कि अध्यक्ष पीठ पर बैठकर जो ऐसे माननीय सदस्य हैं जो यहां का वातावरण विषाक्त करना चाहते हैं, संसदीय परम्पराओं को नष्ट करना चाहते हैं उनकी शास्ति करें, उनकी भर्त्सना करने की कृपा करें जिससे इस तरह का आचरण सदन में करने की कोई कोशिश न करें । मैं भारी अंतःमन से प्रार्थना करता हूं ।

(व्यवधान)

एक सदस्य–

मान्यवर, 6 तारीख को 16 तारीख समझ गये हैं ।

(व्यवधान)

पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष–

मैं, राम आसरे वर्मा जी से नियम 311 पर बोलने के लिए निवेदन कर रहा हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने 311 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव दिया है, मान्यवर, प्रस्ताव लाने का औचित्य तो नहीं बनता । वह इस नाते कि प्रश्न प्रहर विरोधपक्ष का सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है । अगर उसको प्रश्न प्रहर के बाद लाया गया होता तो समझ में बात आती । लेकिन मान्यवर, उस प्रस्ताव के माध्यम से जो तथ्य यहां पर रखा गया माननीय कल्याण सिंह जी के सदन में उपस्थित न होने और उनके खिलाफ मुकदमों का लगाया जाना । मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी सम्मान के पात्र हैं और हम सभी लोग हमेशा उनको सम्मान की दृष्टि से देखते भी रहे हैं, उनकी अनुपस्थिति खलती है. इस सदन में माननीय कल्याण सिंह जी की अनुपस्थिति खलती है लेकिन संयोग की बात समझिये या दुर्योग की बात समझिये, 6 दिसम्बर की जो घटना हुई उस घटना ने इस प्रदेश और देश के अनगिनत [xxx] की हत्या की है । ....

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

..उनकी भावनाओं की हत्या की है, संविधान की हत्या की है, न्यायपालिका की हत्या की है। मान्यवर, उनकी हत्या में, जिनके भी हाथ रंगे हों, उनको अदालत के कठघरे में खड़ा करके अगर सजा दी जाती है तो इसको कोई अनुचित नहीं कह सकता। माननीय प्रमोद तिवारी जी बोल रहे थे कि उसकी क्या जरूरत है, उसकी जरूरत है। सी० बी० आई० ने जांच की, सी० बी० आई० पर केन्द्र सरकार का दबाव पड़ा, केन्द्र सरकार के हाथ रंगे थे। सी० बी० आई० के माध्यम से केन्द्र सरकार ने अपने को अलग कर दिया। जघन्य अपराध जो दिसम्बर को हुआ था, अगर उसमें [x x x] और भारतीय जनता पार्टी दोषी है, तो उससे ज्यादा दोष केन्द्र सरकार [x x x] का भी है। मान्यवर, अच्छा होता कि आज [x x x]

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, इस सदन में तमाम बार आपकी पीठ से यह निर्णय दिया गया है कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य न हो उसके बारे में सदन में कोई बात नहीं कही जा सकती। यदि कही जायेगी तो वह लिखी नहीं जायेगी। माननीय वर्मा जी प्रधान मंत्री जी के लिये सदन में कह रहे हैं इसको कार्यवाही में न लिखा जाय।

श्री श्याम सुन्दर शर्मा–

मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी के लिये कहे गये शब्दों को कार्यवाही से निकलवाया जाय।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

ऐसी कोई बात होगी तो कार्यवाही देख लूंगा।

(श्री जगदम्बिका पाल के खड़े होने पर)

आप लोग जरा शांत होकर सुन लीजिये मैंने यह कह दिया कि मैं कार्यवाही देख लूंगा। आपने यह व्यवस्था उठायी कि जो व्यक्ति इस सदन का सदस्य नहीं है उसके बारे में कुछ सदन में नहीं कहा जा सकता है, मैंने उस पर अपनी व्यवस्था दे दी है कि देख लूंगा।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, संविधान, न्यायपालिका और धर्मनिरपेक्षता–इन सबकी हत्या करने वाले का नाम लेना सदन में गुनाह है तो उस पर आप व्यवस्था दीजिये।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैंने यह कहा है कि माननीय सदस्य नरेश जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है उसके संदर्भ में मैं कार्यवाही दिखवा लूंगा और उसके अनुरूप निर्णय दे दिया जायेगा।

नोटः– [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, मुझे यह कहना है कि माननीय वर्मा जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी का नाम लिया । उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया है । मान्यवर, आपने दोहरी व्यवस्था दी है....

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, जो बात मैं कह रहा था उसी को आगे बढ़ाते हुए यह कहूंगा कि केन्द्रीय सरकार और सरकार के प्रधान मंत्री माननीय नरसिम्हा राव का नाम आते ही हमारे कांग्रेसी भाई चीख पड़े । मान्यवर, आपने व्यवस्था दे दी है कि उसे निकलवा दूंगा मगर आप इसे उत्तर प्रदेश और इस देश की जनता के दिमाग से जिसे वे अपराधी के रूप में समझ चुके हैं, नहीं निकलवा पायेंगे ।

(व्यवधान)

* श्री जगदम्बिका पाल–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कृपया सुन लें । मान्यवर, माननीय सदस्य, श्री वर्मा जी ने भारत के प्रधान मंत्री के ऊपर आक्षेप लगाया है । मान्यवर, मैं उनकी बात को सुन रहा हूं वे भी कृपया मेरी बात को धैर्यपूर्वक सुनें और आपकी बात को भी सुनें जो आपने व्यवस्था दी है । मान्यवर, स्पष्ट रूप से इस सदन में जब किसी व्यक्ति को सफाई देने का अवसर सुलभ न हो तो उस पर आरोप नहीं लगाया जा सकता है । मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया था उस पर आपने व्यवस्था दे दी उसके बाद भी उन्होंने आक्षेप लगाया है, मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । मान्यवर, माननीय प्रधान मंत्री जी इस सदन के सदस्य नहीं हैं और माननीय सदस्य उन पर आरोप लगा रहे हैं .....

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो आपके सामने व्यवस्था का प्रश्न है उसके संदर्भ में मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे भी कृपया दो मिनट के लिए सुन लें । पूर्व दृष्टान्त हैं किसी व्यक्ति पर आरोप नहीं लगेगा यदि वह इस सदन का सदस्य न हो । लेकिन प्रधान मंत्री कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और उनकी पार्टी के लोग यहां पर बैठे हैं जवाब देने के लिए इसलिये माननीय राम आसरे वर्मा जी ने उन पर कोई आरोप नहीं लगाया है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैंने यही कहा है कि चाहे केन्द्र की सरकार हो चाहे मा० नरसिम्हा राव जी हों, लेकिन जैसी आपने व्यवस्था दी है कि उनका नाम निकलवा दूंगा लेकिन उत्तर प्रदेश और इस देश की जनता के दिमाग से जिन्हें वे अपराधी के नाम से जान चुके हैं, नहीं निकलवा पायेंगे मान्यवर, मैंने एक आदमी का नाम लिया तो वह तड़फड़ाने लगे । लेकिन 6 दिसम्बर की जो घटना है उसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

अगर आप जायें तो 1949 से लेकर 6 दिसम्बर, 1992 तक जो कुछ भी हुआ है उससे कांग्रेसी अपने को अलग नहीं कर सकते । 1949 में बावरी मस्जिद के अन्दर अगर मूर्ति की स्थापना की गयी तो इनकी साजिश से की गयी । उस मस्जिद में ताला डलवाया गया तो इनकी साजिश से डलवाया गया था । ताला खुलवाया गया, तो वह भी इनकी साजिश से खुलवाया गया था और उसके बाद कांग्रेस की ही साजिश से वहां शिलान्यास भी हुआ, क्या यह सब अपराध नहीं था । जब मा० कल्याण सिंह जी ने आकर उस पर ईंट रखवाना शुरू कर दिया तो वह अपराध हो गया । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि अगर अदालत के कटघरे में दोनों अपराधी खड़े होते, तो इंसाफ होता और लोग यह देखते कि किसने क्या किया ? किसने जनता की जिन्दगी के साथ खिलवाड़ किया, किसने विदेशों में, इस देश का सम्मान गिराया है । मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नियम–311 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव यहां लाया गया है, इसका औचित्य नहीं बनता है और इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । साथ ही इतनी मांग जरूर करना चाहूंगा कि जिस अपराधी को आज तक छोड़ रखा गया है, उस अपराधी को भी कटघरे में खड़ा करना चाहिये और इसके लिये इस सरकार को अपनी तरफ से कार्यवाही करनी चाहिये ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी के उपनेता माननीय सदस्य राजेन्द्र कुमार गुप्त ने नियम-311 के अन्तर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उपस्थित किया है । सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री कल्याण सिंह को निरुद्ध किया गया है, उसमें सभी नियमों को, कानूनों को ताक पर रखकर, मनमाने ढंग से, झूठे आरोप लगाकर केवल इसलिये बंद किया गया है कि जिससे वह इस गरिमामय सदन की कार्यवाही में उपस्थित न हो सकें । मैं सुन रहा था, जिस समय इस सदन के माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी जी कानूनों का हवाला देकर कुछ कह रहे थे । उन्होंने यह भी कहा कि उनकी 16 वर्ष की प्रैक्टिस है । मैं बताना चाहता हूं कि मुझे भी इस क्षेत्र में 30 वर्ष का अनुभव है, लेकिन आदमी बराबर कुछ सीखता रहता है । मुझे हंसी आ रही थी, जब वह कानून का हवाला देकर अपनी बात कह रहे थे । मैं पूछना चाहता हूं कि उस दिन उनका कानून कहां चला गया था, जिस दिन इलाहाबाद के उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार के आरोप में तत्कालीन प्रधान मंत्री के चुनाव को निरस्त किया था और (शेम-शेम की आवाजें) (व्यवधान) उनकी पार्टी ने मा० उच्च न्यायालय के उस निर्णय को रद्दी की टोकरी में डाल दिया था । उस दिन क्या हुआ था मान्यवर, जिस समय देश के सर्वोच्च न्यायालय ने शाहबानों प्रकरण पर भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 के अनुसार एक निर्णय दिया, लेकिन आपने बहुमत पाकर उसकी धज्जियां उड़ा दी । मान्यवर, कानून किसी सत्तासीन या किसी सत्ताधारी की सनक नहीं हो सकती । हमारे नेताओं को निरुद्ध किया गया है क्योंकि यह भयभीत हैं कि अगर यहां माननीय कल्याण सिंह जी आयेंगे और अपने सबल तर्कों से, अपनी बातों से इनकी नीतियों का, मनगढ़न्त आरोपों का खुलासा करेंगे.....(व्यवधान)....मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय माता टीला में माननीय आडवानी जी को, माननीय जोशी जी तथा अन्य नेताओं का मुकदमा चल रहा था मैं एक वकील के रूप में वहां उपस्थित था और वहां न्यायालय ने सम्मान, बिना शर्त उनको छोड़ा था, बरी किया था लेकिन जिस मजिस्ट्रेट के आदेश से इन नेताओं को छोड़ा गया था उस मजिस्ट्रेट को बदल दिया गया, मैजिस्ट्रेट श्री राजाराम यादव को हटा दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में अपनी बात कहें ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सी० बी० आई० ने इस केन्द्र की सरकार के इशारे पर इतना बड़ा जघन्य अपराध किया कि हमारे जिन नेताओं को बिना शर्त छोड़ा गया था, उसको यह कहा कि इन नेताओं को जमानत पर छोड़ा गया है । जबकि इन नेताओं ने जमानत के लिये अप्लाई नहीं किया था, तो जमानत पर छोड़ने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, लेकिन न्यायालय में जो पत्रक उपस्थित किया गया उसमें लिखा था कि जोशी को, आडवाणी को, उमाभारती को जमानत पर छोड़ा गया । मान्यवर, इस प्रकार सी० बी० आई० इनके इशारे पर जालसाजी कर सकती है तो निश्चित रूप से सिद्ध होता है कि यह झूठा मुकदमा बनाया गया, और माननीय कल्याण सिंह को इस सदन में उपस्थित रहने से वंचित रखा गया । मान्यवर, यह कहा जाता है कि वह अपना मुचलका भर देते और यहां आ जाते । मान्यवर, मैं न्यायालय का सम्मान करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के नेता न्याय से ऊपर अपने को नहीं मानते ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बोल रहे हैं.....(व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, देश का कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं हो सकता । जो एक करोड़ रुपये की सूटकेश के माध्यम से रिश्वत प्रधानमंत्री द्वारा लिया गया, पूरे देश की जनता उस सच्चाई को जानना चाहती थी । एक बहुत बड़ा गम्भीर आरोप लगाया था । सी० बी० आई० को मामला देश के सामने लाना चाहिये था, लेकिन कानून को सत्ताधीश अपनी सनक माने हैं, इसलिये उसकी जांच भी नहीं करायी गयी, इसलिये कानून की धज्जियां उड़ाने वाले ये हैं । मान्यवर, जो लोग कहते हैं, प्रमोद तिवारी जी कहते हैं कि 6 दिसम्बर, 1992 का दिन शर्म का दिन है । मैं कहता हूं कि उन्हें उस दिन शर्म क्यों नहीं आई, जब शाहबानों प्रकरण पर सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ायी गयी और देश को दंगे में जलने के लिये झोंक दिया गया, शर्म उस समय क्यों नहीं आयी जब तीनों सरकारों को, जिनका कोई दोष नहीं था, भंग कर दिया गया । शर्म उस दिन क्यों नहीं आयी जिस दिन जबलपुर उच्च न्यायालय ने मध्य प्रदेश सरकार की बर्खास्तगी को अवैध ठहराया । लेकिन उसका पालन नहीं किया गया....(व्यवधान)

श्री मुख्तार अनीस–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो प्रस्ताव दिया है उसकी ग्राह्यता पर बोले । यह तो शाहबानों प्रकरण, जबलपुर प्रकरण और न जाने क्या बोल रहे हैं, इनसे कहिये, इनको समझाइये कि नियम 311 की ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठ जाइये । बहस की बात नहीं है, आप बैठ जाईये ।

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुये कहना चाहता हूं कि ये लोग भी स्वीकार करते हैं कि जो यह निर्वाचन हुआ है इसमें भारतीय जनता पार्टी के मतों का प्रतिशत बढ़ा है । 32 से 35 प्रतिशत हुआ है । ऐसे पार्टी के नेता को झूठे आरोपों में गलत तरीके से बंद किया गया है । बात केवल इतनी है कि उन्हें

सदन में बुलाया जाय और उनको शपथ दिलाई जाय । वह इस सदन की कार्यवाही में भाग लें और उनके मूल्यवान विचार हमें मिलें । आपकी ओर से आदेश जाना चाहिये कि उन्हें यहां उपस्थित किया जाय और उन्हें शपथ दिलाई जाय । इसलिये मान्यवर, नियम–311 के अन्तर्गत जो यह सूचना दे रखी है यह अति महत्वपूर्ण है । सदन का नेता विरोधी दल न हो और सदन की कार्यवाही चले, इसकी कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है । मैं पुनः आपसे अनुरोध करूंगा कि आप निर्देशित करें और इस सूचना को नियम–311 के अन्तर्गत स्वीकार करें ।

* श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, मैंने उप नेता भारतीय जनता पार्टी श्री राजेन्द्र कुमार जी की बातों को ध्यान से सुना और उसके बाद श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी की बातों को ध्यान से सुन रहा था । वह यह कह रहे थे कि बिल्कुल झूठे आरोप हैं । हमने संविधान को नहीं तोड़ा, हमने फैसलों को नहीं तोड़ा, जो मस्जिद थी, उसे हमने नहीं तोड़ा और हमने जनादेश को नहीं तोड़ा है । यह जो कह रहे हैं, पहले अपनी बात पर खुद ही विचार कर लें । उन्होंने इस सदन को आश्वासन दिया था कि मस्जिद नहीं गिरने पायेगी ।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर व्यवधान)

श्री ब्रह्मदत्त द्विवेदी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है कि ढांचा मस्जिद है या मंदिर । ये लोग मस्जिद कह कर उत्तेजना फैलाना चाहते हैं । इसलिये आपसे अनुरोध है कि "मस्जिद" शब्द को कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, अभी तक कह रहे थे कि 6 दिसम्बर की घटना हमारे लिए शर्म की बात नहीं है बल्कि गर्व की बात है । क्या अब आप यह भी कहेंगे कि यह भी झूठ है कि मस्जिद गिराई गई ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । विवादित ढांचे का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है । इसलिये उसे मस्जिद कहना गलत है । अतएव आपसे अनुरोध है कि इस "मस्जिद" शब्द को कार्यवाही से निकाला जाय ।

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शांतिपूर्वक बैठें । आपकी बात को ध्यानपूर्वक उन्होंने सुना है, इसलिये उनकी बात को भी आप ध्यानपूर्वक सुनें । अब कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है ।

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, माननीय सदस्य, मेरी बात को ध्यान से सुनें । मैं उन्हीं के दल के केन्द्रीय नेताओं के बारे में कहना चाहता हूं, नाम मैं नहीं लूंगा । 6 दिसम्बर की घटना के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि यह गलत हुआ है, यह एक अपराधिक घटना है । इस नाते उन्होंने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम कुमार वर्मा–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मंदिर है या मस्जिद आप ही इस पर व्यवस्था दे दें।

श्री मित्रसेन यादव–

इस गलती को स्वीकार कर, इन्होंने त्याग पत्र भी दे दिया था अपनी गलती को स्वीकार करके, अपराध को स्वीकार करके त्यागपत्र भी दिया। अब माननीय वरिष्ठ सदस्य द्विवेदी जो एक अधिवक्ता है माननीय प्रमोद तिवारी के जवाब में कह रहे हैं मैंने 30 वर्ष तक प्रैक्टिस की है तो मैं कहना चाहता हूं कि जैसा वर्मा जी अभी कह रहे थे उस 6 दिसम्बर की घटना के बाद इस देश में क्या हुआ इंसानियत की धमनियों में जो खून था वह सैतानियत में बदल गया। कितने गुदड़ी के लाल सो गये, कितनी माताओं की गोद सुनी हो गयी और कितनी बहनों की मांगों का सिंदूर धुल गया। इतना ही नहीं कि केवल मस्जिद ही ढहाई गयी हो बल्कि इन्होंने कितने हिन्दुओं के मंदिर गिरा दिये। तो यह लोग न इधर के हैं और न उधर के है सिर्फ यह अपनी सत्ता के लालची हैं।

यह कहते हैं कि माननीय नेता विरोधी दल को किस अपराध में बन्द किया गया है। तो जब रामकोला केस हुआ था उस समय आपकी सरकार थी तो माननीय मुलायम सिंह राम कोला घटना के बारे में वहां जा रहे थे तो उन्हें किस अपराध में बनारस जेल में बन्द किया गया, बोरे की तरह उनको लाद दिया और उनसे किसी को मिलने नहीं दिया, तो उनका अपराध क्या था। उनका अपराध यह था कि किसानों के ऊपर जो लाठियां और गोलियां चलाई थी उसको देखने जा रहे थे और उनको बन्द कर दिया। 6 दिसम्बर को उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी घटना हो गयी दुनियां में हिन्दुस्तान का सिर शर्म से झुक गया यहां क्या-क्या नहीं हुआ। (व्यवधान) उसके बावजूद भी यह कहते हैं कि क्या अपराध हुआ। मान्यवर, देहात में एक कहावत है–किसी आदमी के सिर में सींग जम आया वह कहता है कोई बुराई नहीं यह हमारे लिये छाया है। तो हमारे इधर के सदस्यगण भी यही सोचते हैं।

जैसा माननीय रामआसरे वर्मा जी ने भाव व्यक्त किये वह सही है। मैं अपने कांग्रेस के भाइयों से कहना चाहता हूं नवम्बर 26, 27, 28 और 29 को केन्द्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी और उसमें यह तय किया कि उत्तर प्रदेश की सरकार को गिरा दिया जाय, भंग कर दिया जाय। हमारे भाई केन्द्रीय कैबिनेट का फैसला देख लें। उसके बावजूद केन्द्र सरकार ने कल्याण सिंह सरकार बर्खास्त नहीं किया। तो 6 दिसम्बर की घटना का मौका किसने दिया मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं आपके प्रधान मंत्री बहुत बड़े वरिष्ठ सदस्य को नागपुर बालासाहब से विचार करने क्यो भेजा इसकी क्या जरूरत थी ? क्या यह गलत नहीं था और इसीं को लेकर केन्द्रीय कैबिनेट में झगड़ा हुआ। अर्जुन सिंह और दिनेश सिंह में क्या बात हुई। अयोध्या की जो घटनायें 1949 से लेकर आज तक हुई है वह इसी का हिस्सा है। यह जो अभी शाहबानों के मामले में कहा गया कि अब्दुल्ला बुखारी को छोड़ दिया गया मैं माननीय राजेन्द्र गुप्त जी से कहना चाहता हूं, आप संसदीय प्रणाली के ज्ञाता हैं, संविधान की दुहाई देते हैं। अगर कोई गलती इतिहास में हो गयी तो उसकी आप दुहाई देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

आप मानते हैं गलती हुई है।

श्री मित्रसेन यादव–

अगर उनको सजा नहीं दी गयी तो क्या आपको भी सजा न दी जाय । अगर शाहबानों के मामले में अब्दुल्ला बुखारी को छोड़ दिया गया तो क्या आपको भी माफ कर दिया जाय यही आप कहना चाहते हैं । आप कानून और संविधान की दुहाई देते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप कीजिये ।

[समय 1 बजकर 20 मिनट]

श्री मित्रसेन यादव–

मान्यवर, जो प्रकरण इन्होंने उठाया है उसकी न तो ग्राह्यता है और न आवश्यकता है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि वह अपने अपराधों को स्वीकार करके अदालत से मुक्त होकर आयें । चूंकि उन्होंने कानून और न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र की अवमानना किया है । इसलिये उनको गेस्ट हाउस में नहीं रखना चाहिए बल्कि श्री मुलायम सिंह जी को जिस तरह उन्होंने जेल में रखा था उसी तरह उनको भी जेल में रखना चाहिए ।

(श्री अध्यक्ष द्वारा श्री काशी सिंह ऐरी का नाम पुकारने पर)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, (व्यवधान) आप पहले हम लोगों को सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जब सारे नेताओं की उपस्थित में तय हो गया है कि दूसरे दल के नेताओं की भी राय लेनी चाहिये तो आप लोग व्यवधान न पैदा करें । मैंने श्री ऐरी जी का नाम पुकार लिया है इसलिये उनको बोल लेने दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपके कक्ष में जो वार्ता होती है उसका यहां उल्लेख नहीं करना चाहिए लेकिन उल्लेख कर दिया । इसलिये जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं उनमें से कम से कम 5-7 सदस्यों को सुन लें । उसके बाद अन्य नेताओं को और फिर संसदीय कार्य मंत्री को सुनेंगे और फिर हमको उत्तर देने का मौका मिलेगा ।

श्री अध्यक्ष–

जो वहां तय हुआ उससे भी आप पीछे हट रहे हैं जिन्होंने हस्ताक्षर किये हैं उनमें 4 को नहीं बल्कि 5 को बुलवा लूंगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

उसी की तो हम प्रतीक्षा कर रहे हैं ।

श्री काशी सिंह ऐरी–

मान्यवर, मैं पिछली घटना की ओर नहीं जाना चाहता हूं लेकिन उल्लेख करना चाहता हूं कि श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जो नियमों के ज्ञाता हैं उनकी मैं इज्जत करता हूं और कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न पहले भी प्रस्तुत हुआ था, इसलिये मुझे उसमें अधिक नहीं कहना है । लेकिन मेरी जो समझ है उसके मुताबिक मैं कहूंगा कि इसमें दो अलग-अलग बातें हैं । पहली बात मा० नेता विपक्ष, श्री कल्याण सिंह को सदन में बुलायें जाने का जहां तक प्रश्न है वह अलग है और उन्होंने क्या कार्य किये हैं उन पर कानूनी क्या कार्यवाही चल रही है यह प्रश्न अलग है ।

मान्यवर, 6 दिसम्बर, 1992 की जो घटना है इस पर अधिक बोलना सदन का समय नष्ट करना है । इसलिये कहना चाहूंगा कि इसे प्रदेश और देश ही नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोग जानते हैं कि एक चुनी हुई सरकार ने संविधान के तहत शपथ लिया और उस सरकार ने अपने दायित्व का पूरी तरह से उल्लंघन किया, संविधान की खाई कसम का सरासर उल्लंघन किया, इस पर दुबारा मुझे कुछ अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है । इस कारण जो माहौल खराब हुआ, जिसके कारण सारे देश का अमन-चैन खराब हुआ, लाखों करोड़ों लोगों की जाने गईं, वह बात भी किसी से छुपी नहीं है । इसलिए वह दोषी हैं या निर्दोष, यह अदालत के सामने मामला विचाराधीन है । इसलिये मैं कहूंगा कि वह अपने दल में इस बात का फैसला करायें कि जो यह काम हुआ है वह अपराध का काम हुआ है या निरपराध का काम हुआ है । उससे मुक्ति माननीय न्यायालय ही दिला सकता है, जैसा कि हमारे यहां कानून का शासन है । वह समझते हैं कि वह निरपराध है, तो कानून का, न्यायालय का दरवाजा उनके लिए खुला है, वहां पर वह अपने को निर्दोष साबित करें । लेकिन यहां का समय जाया न करें । यहां हम लोग जनता की आवाज उठाने, उनकी समस्याओं को उठाने आये हैं, वह उस समय का यहां दुरुपयोग न करें, यह हमारी उन्हें नेक सलाह है ।

आज नेता प्रतिपक्ष को सदन में बुलाए जाने का प्रश्न है, इस पर मैं कहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को इसके लिए किसी ने रोका नहीं है । यदि वह सदन में उपस्थित होना चाहते हैं, अपनी मंशा देते हैं तो उन्हें माननीय अध्यक्ष को लिखकर देना आवश्यक है । आप चाहे जमानत दें या न दें । आप लिखकर दे देंगे कि वह सदन में उपस्थित होना चाहते हैं तो आप मान्यवर, सरकार से कहेंगे कि उनको हाउस में उपस्थित होने दिया जाये । वह ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं ? इसका मतलब यह है कि वह सदन में आना ही नहीं चाहते हैं, तो यह सरकार कैसे नेता प्रतिपक्ष को सदन में ला सकती है । वह खुद नहीं आना चाहते हैं । इसका सीधा तरीका यही है कि वह आपको लिखकर दे दे कि वह सदन में आना चाहते हैं । वह आयेंगे तो शपथ-पत्र भी लेंगे, बोलना चाहेंगे तो बोलेंगे भी । इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर इस तरह सदन का समय जाया करने की आवश्यकता नहीं है । मान्यवर, इसके लिए इसको ग्राह्य करने की आवश्यकता नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, आपने मुझे मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका अनुग्रहीत हूं । मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सदन के माननीय सदस्यों के हितों के आप संरक्षक हैं और यदि कोई भी सरकार किसी भी रूप में किसी सदस्य का उत्पीड़न करेगी और अपने प्रभाव का दुरुपयोग करेगी और लोगों को जेल में डालेगी और माननीय सदस्यों को सदन में आकर कार्यवाही में भाग लेने से रोकेगी तो उन सदस्यों के हितों की रक्षा करने के लिये आपको व्यापक अधिकार है । श्री कल्याण सिंह जी सदन के माननीय सदस्य हैं, उनको गैर कानूनी तरीके से, झूठे आरोपों में, राजनैतिक विद्वेष की भावना से फंसा कर जेल में रखा गया है और सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के वैधानिक अधिकार से उनको वंचित किया गया है । (व्यवधान) मान्यवर, इस सदन में नेता कांग्रेस दल श्री प्रमोद तिवारी ने जनादेश की बात कही है ।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

* मान्यवर, यह सरकार चार पैरों पर टिकी है। चार पार्टियां मिलकर सरकार चला रही हैं। क्या यही जनादेश हैं ? इसमें बहुत से गलत काम हो रहे हैं। मान्यवर, मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि उन्होंने श्री प्रमोद तिवारी जी को बहुत अच्छा वकील नियुक्त किया है। ऐसे वकील को पुरस्कार दें उन्हें अपने मंत्रि-मण्डल में शामिल कर लें। मान्यवर, इस सदन के माननीय सदस्य कल्याण सिंह जी को गैर कानूनी ढंग से बन्द कर के रखा है। श्री प्रमोद जी ने नाटक की बात कही है उनके नेता शाह आयोग के सामने 1978 में करते रहें हैं। इसलिये अन्य के बारे में भी ऐसा सोचते हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

आप इनकी बात सुन लीजिये, मैं आपको मौका दूंगा। आप बैठ जायं।

श्री बालेश्वर त्यागी–

मान्यवर, माननीय कल्याण सिंह जी इस सम्मानित सदन के विपक्षी दल के नेता हैं इनको जेल में बन्द करके रखा गया है। मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है। अतः कार्य स्थगन करके हमारी बात सुनी जाय।

(व्यवधान)

श्री अतीक अहमद–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

अतीक जी आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

नियम 311 के अन्तर्गत उठायी गयी सूचना के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न–(जारी)

* श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, इस नियमावली के नियम–311 की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आप देख लें नियम–311 में बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि "कोई सदस्य अध्यक्ष की सम्मति से प्रस्ताव कर सकेंगे कि किसी नियम का सदन के समक्ष किसी विशेष प्रस्ताव पर लागू होना निलम्बित कर दिया जाय और यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाय तो वह नियम उस समय के लिये निलम्बित कर दिया जायेगा।" राजेन्द्र गुप्त जी ने एक प्रस्ताव किया आपने उस प्रस्ताव को स्वीकृत किया उसके बाद, श्रीमन् चर्चा कराने का प्राविधान इसमें नहीं हैं। आप उसके बाद श्रीमन्, मत करायेंगे यदि मत से इनका प्रस्ताव पास हो जायेगा तो चर्चा करायेंगे और पास नहीं होगा तो चर्चा नहीं करायेंगे। मान्यवर, आपने लोगों को उस प्रस्ताव से अलग हटकर बोलने का अधिकार दे दिया जिससे ऐसा लगा कि इस प्रस्ताव पर किसी की गम्भीरता है ही नहीं। जिस ढंग से इसे उपस्थित किया गया उससे ऐसा लगा कि इस प्रस्ताव की गम्भीरता समाप्त हो गयी हो। अगर आप इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा कराना चाहते हैं तो वोटिंग करा लीजिये यदि प्रस्ताव पास हो जाये तो उसके लिये नियमों का निलम्बन करें। पास नहीं होता है तो सदन का समय बेकार न करके कार्यवाही आगे चलायें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक सदस्य–

माननीय नरेश अग्रवाल जी ने जो नियम–311 की चर्चा की है उसके संबंध में बोलना चाहता हूं। मेरी व्यवस्था सुन लीजिये।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्रवाल साहब ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है कि यह चर्चा का विषय नहीं है, चर्चा क्यों हो रही है। गुप्ता जी ने नियम–311 के अन्तर्गत सूचना दी है उसकी ग्राह्यता पर मैं बुलवा रहा हूं। यह बात दूसरी है कि कोई सदस्य ग्राह्यता से हटकर कुछ बोल लेता है और सभी की बात सुनने से बहुत सी बातें सामने आ जायेंगी जिसके आधार पर जब मैं निर्णय दूंगा तो वह हमारा सहयोगी होगी। अब मैं अतीक साहब से निवेदन करूंगा कि वह अपनी बात कहें।

पूर्व मुख्यमंत्री श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (क्रमागत)

* श्री अतीक अहमद–

मान्यवर, मेरा यह निवेदन है कि नियम–311 के तहत माननीय गुप्ता जी प्रश्न ले आएं, बात केवल इतनी है। मान्यवर, मैं निर्दलीय सदस्य हूं। तीसरी मर्तबा इस सदन में चुनकर आया हूं। मुझे दुख हो रहा है, मा० कल्याण सिंह जी सदन में नहीं हैं हमारे क्षेत्र की जनता ने जितने अरमान से हमें चुना है उनको भी उतने ही अरमान से चुना है। उन्हें इस सदन में होना चाहिए। लेकिन तमाम बातें सुनने के बाद मैं कांग्रेस पार्टी के सदस्य की बातों से अपने को जोड़ता हूं। मान्यवर, सदन जितनी देर चलता है उसमें जो पैसा खर्च होता है वह हमारे गरीब देश की जनता का पैसा है माननीय कल्याण सिंह जी वहां बिठाए गये हैं या वह रुके हुए हैं, लेकिन मान्यवर, मेरा मानना यह है कि सरकार बनाने के लिए यदि उन्हें बुलाया जाता है तो वह मुचलके पर ही नहीं बल्कि आठ-दस करोड़ की जमानत करके यहां दौड़े-दौड़े आ जाते। इनकी सरकार है नहीं, इसलिये ऐसा किया जा रहा है। मान्यवर, आप यदि ऐसी व्यवस्था कर सकें, जितने अधिकार हैं उससे आगे जाकर यदि इनको सत्ता दे सकें तो यह बड़े शान्त और संयत हो जायेंगे। (व्यवधान) मान्यवर, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि यह चेक करा लिया जाय कि कोई कील या सुई तो सीट में नहीं लगी हुई है कि उपनेता बार-बार उठते-बैठते हैं। कोई कारण नहीं है सिर्फ सत्ता इनको नहीं मिली है। मैं एक बात अपने अनुभव की कहना चाहता हूं। यदि कोई व्यक्ति राजनीति में किसी समय में क्रिमिनल रहा हो, निडर न रहा हो, बहादुर न रहा हो, तो वह जनता का नेतृत्व नहीं कर सकता है। मा० कल्याण सिंह जी डर से भरे हैं लेकिन यदि इन्हें पता लग जाय कि इनकी सरकार बनने वाली है तो वह कई करोड़ की जमानत लेकर आ जाएंगे।

मान्यवर, केवल कारण यही है कि इनको सत्ता नहीं मिली यह सत्ता के बगैर चल नहीं सकते हैं। दूसरा निवेदन यह है कि मैं निर्दलीय सदस्य हूं निर्णय ले सकता हूं। नेता सदन से अनुरोध है यदि आप ऐसी व्यवस्था दे सकते हैं इस्तीफा दे सकते हैं तो जनता बाहर खड़ी है जनादेश का निर्णय कर लीजिए चुनाव करा लें (व्यवधान) इनको पता चल जायेगा। सद्दन चलता है तो पैसा खर्च होता है यह जनता का पैसा है इस तरह से सदन बार-बार रुकता है इस तरह से सदन कैसे चलेगा। इनको बहिष्कार करना हो तो चले जाएं या फिर चुनाव मैदान में चले या फिर इनको भी मा० कल्याण सिंह जी के साथ अतिथि गृह में भेज दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री रवीन्द्र शुक्ल–

मान्यवर, कल्याण सिंह जी के इस सदन में न होने से लोग यह मान रहे हैं कि बड़े दुर्भाग्य की बात है कई- नेताओं ने अपने विचार प्रकट किये । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि सी० बी० आई० ने अपनी केस डायरी में श्री कल्याण सिंह को सह-अभियुक्त बताया था और एक ही केस में जब बाकी लोगों को बाइज्जत रिहा कर दिया गया तो दुबारा उनको क्यों जेल भेज गया । इसके संबंध में जो जजमेंट हुआ था उसमें साफ शब्दों में यह लिखा हुआ है कि जो साक्ष्य सी० बी० आई० द्वारा प्रस्तुत किये गये हैं, वह पर्याप्त नहीं है और पर्याप्त साक्ष्य न होने के कारण उन नेताओं को बाइज्जत रिहा किया जाता है । दूसरे उसी केस में एक स्पेशल मजिस्ट्रेट द्वारा जो उसी स्टेट्स का मजिस्ट्रेट है, उस पर पुनः विचार करते हुए और वह भी सी० बी० आई० के फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उनको दुबारा जेल भेज दिया गया उसमें कोई नया साक्ष्य नहीं जोड़ा गया है । चार्ज सीट के अन्दर वही साक्ष्य हैं जो केस डायरी में थे । मैं माननीय प्रमोद तिवारी जी से कहना चाहता हूं कि वह सही रास्ते पर चलें और सही बात कहें । क्योंकि उनके दल के सदस्यों की संख्या इन्हीं सब क्रिया कलापों के कारण 45 से 28 तक आ चुकी है । और अगर यही उनका तौर तरीका रहा तो वह आगे चल कर अकेले ही चुन कर आ पायेंगे ।

इस समय उनकी स्थिति त्रिशंकु जैसी है । मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि आज संविधान की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है । इस सदन के अन्दर नेता विरोधी दल का न होना सदन की मर्यादाओं को पूरा नहीं करता है, क्योंकि सदन तो नेता सदन और नेता विरोधी दल दोनों से बनता है । मैं आपसे यही अपेक्षा करना चाहता हूं आप जनता के संरक्षक हैं । कृपया मा० नेता विरोधी दल को बुलाकर इस प्रदेश की जनता, को उनके विचारों को सुनने से वंचित रह रही है, उसकी आकांक्षाओं को पूरा करें । और आप अपने अधिकार का प्रयोग करें और जो हमारी नियम 311 के अन्तर्गत सूचना है, उसको स्वीकृत करें और सारे नियमों को निलम्बित कर इस पर चर्चा कराने की अनुमति दें ।

श्री जगदम्बिका पाल–

अध्यक्ष महोदय, मैं श्री राजेन्द्र जी के द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत जो प्रस्ताव इस सदन में प्रस्तुत हुआ है उसकी ग्राह्यता पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं । एक निवेदन यह है कि इस सदन की कुछ परम्परायें हैं । यह सदन नियमों से चलेगा । यह जो प्रस्ताव आया है, यदि इस प्रस्ताव को आप स्वीकार कर लें तो क्या प्रजातंत्र के इतिहास में न्यायपालिका के ऊपर एक कुठाराघात नहीं होगा । हम सब लोग चुनकर आए हैं न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने के लिये न कि उस पर हमला करने के लिये । मान्यवर, यह जो कल्याण सिंह को लाने की बात कही गई है लिखित रूप से यह मौखिक रूप से उस पर सरकार हस्तक्षेप कहां कर सकती हैं वह कहां से न्यायपालिका को इस बात के लिये निर्देशित कर सकती है । न्यायपालिका ने कल्याण सिंह से मुचलका भरने के लिये कहा है तो इसमें सरकार कहां हस्तक्षेप कर सकती है । यह प्रश्न ग्राह्यता पर सुनने के लिये भी उपयुक्त नहीं है । लेकिन यह जो प्रश्न यहां पर रखा गया है यह न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच में टकराव की स्थिति उत्पन्न करता है । इस प्रश्न को सदन में रखने की इजाजत या इस पर ग्राह्यता पर बोलने का अवसर

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नहीं दिया जाना चाहिये । मैं कहना चाहता हूं कि भा० ज० पा० की कथनी और करनी में जो अंतर है वह बाहर तो साफ हो ही गया है आज इस सदन के अन्दर भी साफ हो गया है कि भा० ज० पा० की कथनी और करनी में अन्तर है । मैं याद दिलाना चाहता हूं, माननीय उप नेता विरोधी दल उस समय मंत्री थे । उस समय हमारे नेता प्रमोद तिवारी जी थे और मैं उच्च सदन का सदस्य था । सिद्धार्थ नगर बस्ती का मामला था, गन्ना मूल्य के संबंध में हमारे ऊपर व माननीय मुकीम के ऊपर अनेक फर्जी मुकदमें कायम किये गये थे । एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी आज वाकई में मुलायम हो गये हैं । उनको तो बनारस में तनहाई की कोठरी में डाला गया था लेकिन माननीय मुलायम सिंह ने इनको पिपरी गेस्ट हाउस में पूरी सुख सुविधाओं के साथ रखा है । तो यह कितना बड़ा परिवर्तन है ।

माननीय प्रमोद तिवारी जी ने जनादेश की बात कही है वाकई में जनादेश कल्याण सिंह के खिलाफ गया है । जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया है । इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा हुआ है । आज इनके कार्यकर्ता नगर और कूचों में हतोत्साहित हैं । उनका उत्साहवर्धक करने के लिये इनके नेता जेल गये हैं । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उस समय की जब आप माननीय संसदीय कार्य मंत्री थे । मेरी गिरफ्तारी के संबंध में दोनों सदनों में मामला उठाया गया था । माननीय मुकीम और मुझको फर्जी मुकदमें में गिरफ्तार किया गया और फर्जी धारायें लगायी गयी थीं । उस समय माननीय तिवारी जी ने सदन में कहा था कि माननीय मुकीम और माननीय जगदम्बिका पाल पर जो फर्जी मुकदमें लगाये गये हैं उनको वापस लिया जाय और उनको सदन की कार्यवाही से वंचित न किया जाय । सदन का रिकार्ड गवाह है, आप देखें । इस प्रश्न पर उस समय माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने कहा था कि यह मामला न्यायालय में विचाराधीन है, बिना जमानत के सरकार हस्तक्षेप नहीं कर सकती है ।

आप जब सरकार में थे तो यह बात करते थे लेकिन आज जब सरकार में नहीं हैं तो कहते हैं कि फर्जी मुकदमें कायंम किये गये हैं, सदन नहीं चलने देंगे जब तक कल्याण सिंह न आ जायें । आपकी कथनी और करनी मे कितना बड़ा अन्तर हैं । माननीय ब्रह्मदत्त जी ने कहा कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, विधायिका का सम्मान करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि 27 नवम्बर, 1992 को जो आपने शपथ पत्र दिया कि विवादित ढांचे की रक्षा करेंगे, अयोध्या में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने नहीं देंगे क्या आपने उसका पालन किया । 27 नवम्बर, 1992 को आप जो शपथ पत्र लेकर गये थे उसका पालन करने में पूरी सरकार किस तरह से अक्षम साबित हुयी वह सबको मालूम है और आज कहते हैं कि मुकदमें फर्जी हैं, असत्य हैं । जिस विवादित ढांचे की रक्षा के लिये आपने संसद, सदन और राष्ट्रीय एकता परिषद् में हलफनामें दिये थे उसका पालन नहीं किया । जिन्होंने संविधान का मखौल उड़ाया, न्यायपालिका का मखौल उड़ाया और कानून की धज्जियां उड़ाया, वही आज न्यायपालिका की बातें करते हैं । आज इस सदन का कर्तव्य है कि हम न्यायपालिका के अधिकारों की रक्षा करें और इस प्रस्ताव को अस्वीकार करें ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, हमारे कुछ साथियों ने कहा कि कांग्रेस के लोग भी जिम्मेदार हैं । मान्यवर, हमने हमेशा न्यायपालिका की रक्षा का काम किया है, हमेशा न्याय पालिका के सम्मान का काम किया है और भविष्य में भी न्याय पालिका को सम्मान देंगे । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो माननीय वी० पी० सिंह के लोग कह रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं जिसको आप दोष दे रहे हैं, उनको पैदा करने की इस सदन में और लोक सभा में अगर किसी की जिम्मेदारी है, तो इनकी ही है ।

(घोर व्यवधान)

* श्री मुख्तार अनीस–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता जी ने जो नियम 311 में प्रश्न उठाया है, उसमें इतना मुद्दा तो सही है कि नेता विरोधी दल को इस सदन में होना चाहिये । मान्यवर, नेता विरोधी दल से मजिस्ट्रेट ने कहा कि आप मुचलके पर जा सकते हैं । लेकिन उन्होंने मुचलके पर जाना नहीं मंजूर किया । वह चाहते क्या हैं कि आन्दोलन के जरिये, प्रदर्शन के जरिये, जो उनके ऊपर 6 दिसम्बर को कलंक लगा था, उसको धोना चाहते हैं ।

(घोर व्यवधान)

मान्यवर, [x x x] पूरे देश के अन्दर, बम्बई के अन्दर, अयोध्या के अन्दर आन्दोलन कराके लोगों के घरों को उजाड़ने का काम किया है और पूरे देश के लोगों ने आपकी तरफ से इस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे को तोड़ने का काम किया । वहां की तस्वीरें खींचने के लिये जो वहां पर हिन्दू लोग गये, तो वहां पर एक-एक लोगों को पीटा गया । आपका जो लोकतंत्र का अंग है, समाचार-पत्र, संवाददाता, उसको भी मारने का काम किया और उसके बाद इन लोगों के ऐसे नेता, गैर-जिम्मेदार नेता, मैं इशारा करना चाहता हूं, एक महिला की तरफ, जो एम० पी० हैं, उन्होंने घूम-घूम करके कहा कि या तो राम राजे रहेंगे या [x x x] रहेंगे ।

(घोर व्यवधान)

इस तरह से उत्तेजनात्मक भाषण दिये गये ।

(घोर व्यवधान)

मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आपस में समझिये । आपने हिंसक काम किया । आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता मानने से इन्कार किया । हत्या करने वालों का स्वागत किया । इस सदन के अन्दर आप लोगों ने ऐसे कृत्य किया । मान्यवर, इन लोगों के ऊपर मुकदमा चलाया जाय, इन्हें जेल के अन्दर रखा जाय । आप लोगों ने मुकदमा देर से शुरू किया है । शुरू-शुरू में जब आपकी सरकार बनी थी, तो भा० ज० पा० के नेता अडवाणी साहब ने बयान दिया कि जवाहर लाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री नहीं, नरसिंह राव देश के सबसे अच्छे प्रधान मंत्री हैं । ऐसा अडवाणी साहब ने कांग्रेस का समर्थन प्राप्त करने के लिये बयान दिया था । मान्यवर, उनको उत्तेजित किया गया है उन्होंने इस भावना से मस्जिद गिराने में मदद की है । इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि जो नियम 311 के अन्तर्गत प्रश्न उठाया गया है वह इस नियम के अन्तर्गत नहीं आता है इसलिये आप इसको समाप्त करें ।

(व्यवधान)

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :–[x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र गुप्त जी ने 311 के प्रस्ताव पर आपने बड़ा उदारतापूर्वक उनके दल के तमाम सदस्यों को और अन्य दलों के भी नेताओं को सुना । हम समझते हैं कि राजेन्द्र गुप्त जैसे अनुभववान सदस्य समझते होंगे कि 311 के अन्तर्गत इस तरह के मामले नहीं उठाये जाते हैं तो फिर भी उनकी पार्टी का उनके ऊपर दबाव रहा होगा । कभी-कभी राजनीतिक दायित्व जो हैं वह सदन के नियमों से ऊपर मान लेते हैं कुछ लोग । हमें भी श्रीमन् अच्छा नहीं लगता है कि नेता सदन हमारे बैठे होते हैं और नेता विरोधी दल की सीट खाली है । बड़े उत्साह से और बड़ी लगन से प्रदेश की जनता ने और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों ने श्री मुलायम सिंह यादव जी को दुबारा सत्ता में ढाई साल के बाद भेजा है । अच्छा होता सामने पहलवान भी बैठे हैं तो सदन में बहस में और मजा आ जाता । धैर्य से विरोधी की बात भी सुनना एक अच्छे सांसद की परिभाषा होती है । श्रीमन्, हम नियमों, परम्पराओं, संविधान और मर्यादाओं को मानने वाले हैं । गांधी जी, डा० राम मनोहर लोहिया, डा० भीमराव अम्बेदकर के रास्ते पर चलने वाले हैं । बड़े से बड़ा जोखिम उठा सकते हैं लेकिन नियमों के विपरीत कोई आचरण हम लोग नहीं कर सकते हैं । बड़े से बड़े आदमी को भी अगर दण्ड लेने का प्राविधान हो नियमों के अन्तर्गत, तो उसको माफी देने के पक्ष में भी हम लोग नहीं हैं । गुप्ता जी ने यहां पर यह साबित करने की कोशिश की कि मा० कल्याण सिंह जी के साथ हम सब लोग परम्पराओं और नियमों के विरुद्ध ज्यादतियां कर रहे हैं। श्रीमन्, आप स्वयं इस सदन के अनुभवशील सदस्यों में से हैं । एक उदाहरण भी अगर गुप्ता जी दे दें कि आज तक इस विधान सभा के इतिहास में कोई भी यहां पर बगैर उसकी तरफ से प्रार्थना पत्र दिये या आपसे अनुरोध किये या बिना सरकार से अनुरोध किये कोई भी आपराधिक मामलों में बन्दी यहां पर शपथ के लिये लाया गया ? एक भी उदाहरण दे दें । श्रीमन्, जब आप स्वयं सरकार में थे उन दिनों को जरा याद कीजिये । मदन भैया फिर निर्वाचित होकर आ गये हैं । उन्होंने अनुरोध किया था, सरकार से अनुरोध किया था और हमने भी वहां पर बैठकर नियमों के तहत इस प्रश्न को उठाया था और कहा था कि उनको सदन में लाया जाये । आपकी तरफ से कोई छूट नहीं दी गयी थी । अगर उन्होंने आपका ध्यान आकर्षित किया होता, सरकार से अनुरोध किया होता, तो इस पर विचार किया जाता । श्रीमन्, देश को तोड़ने की कार्यवाही करने वालों को उतनी ही सजा है, जितनी कि दंड विधान में दी हुई है । 6 दिसम्बर को जो कुछ हुआ, वह देश को तोड़ने की कार्यवाही हुई । नियमों के ऊपर जाकर कोई छूट देना उचित नहीं है । माननीय प्रमोद तिवारी, राम आसरे वर्मा, मुख्तार अनीस ने जो कहा है और जो कहा है और जो भावना व्यक्त की है, वह बिल्कुल नियमों के और परम्पराओं के अनुकूल है । एक छोटे से मामले को राजनीतिक मामला नहीं बनाया जाना चाहिये । नियमों के अनुसार स्वस्थ परम्परा चलानी चाहिए ।

माननीय कल्याण सिंह जी, नेता विरोधी दल हैं और इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य हैं । हमको भी खुशी होती कि वह यहां पर होते । मान्यवर, उनकी नियमों में आस्था नहीं है । मान्यवर, वह मुचलके भी नहीं भरेंगे और यह कहा जा रहा है कि उनको यहां पर लाया जाये । मैं जानना चाहता हूं कि उनको किस परम्परा के अनुसार और किस नियम के तहत उनको यहां पर लाया जाये । कोई व्यक्ति क्या सदन की परम्पराओं से ऊपर होगा । माननीय गुप्ता जी ने, कल्याण सिंह निरुद्ध हैं या बन्दी हैं, उनकी किसी सुविधा के बारे में उल्लेख नहीं किया है । मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मुलायम सिंह जी जब बन्द थे, तो वह एक गन्दी कोठरी में बन्द थे । वह इतनी गन्दी कोठरी थी कि जब मैं उनसे मिलने गया तो वह उससे बाहर आ गये और उस गन्दी कोठरी में मुझसे मिलना ठीक नहीं समझा, वह अलग मिले

थे। कल्याण सिंह जी को अगर कोई असुविधा हो रही हो, तो उसका उल्लेख कर दें उसे तत्काल दूर किया जायेगा। उनको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जायेगी । किसी बदले की भावना से कोई कार्य नहीं किया जायेगा । आपने चुनाव में कहा कि "जो कहा सो किया" । आप अपराध स्वीकार करें और दण्ड के लिये तैयार रहें । आपने समझा कि जनता हमारे प्रदेश की 30 फीसदी साक्षर है, इसको भावनाओं में बहाया जा सकता है ।

मैं कहना चाहता हूं कि जनता एक बार भावनाओं में बह गयी । इस बार बहुत बड़ा अपराध कर दिया । जनता ने आपको सजा दी है और जिसके कारण आपको विरोध में बैठना पड़ा है और जनता आप को अगली बार भी सजा देगी और आप विरोधी दल की मान्यता भी नहीं प्राप्त कर पायेंगे । इसलिये मान्यवर, सदन की जो परम्परायें हैं, नियम हैं उनको आप मानें और जो स्वस्थ लोकतांत्रिक परम्परायें हैं उनको मानें, उनका अनुपालन करें । नियम 311 में इसका क्या औचित्य है ? नियम 311 का प्रस्ताव कोई खास विषय पर लाया जाता है और वह स्वीकार हो या न स्वीकार हो, यह अध्यक्ष के विवेक पर होता है । अगर अध्यक्ष उसको अस्वीकार कर देते हैं, तो उसको यहां पर नहीं उठाया जा सकता है । लेकिन मान्यवर, आपको 2-3 बार सदन को स्थगित करना पड़ा । आपकी नियमों में आस्था नहीं है । आप नियमों में आस्था जाहिर करें । हो सकता है कि जनता आपको अगली बार माफ कर दे । श्रीमन्, नियमानुसार 311 के अन्तर्गत यह नहीं आता है । मेरा अनुरोध है कि इसको आप अस्वीकार करें और सदन की कार्यवाही आगे चलावें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय गुप्त जी, और भी कुछ कहना चाहें तो कह लीजियेगा वैसे बहुत कुछ हो गया है, कुछ कहना चाहते हैं तो कह लीजिये ।

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो विषय मैंने रखने का प्रयास किया था उससे भिन्न बहुत बातें और कही गयीं । (शोर)

मान्यवर, यदि मैं उसका उत्तर न दूं तो कदाचित मैं अपने दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा हूं, यह समझा जायेगा । मान्यवर, नेता कांग्रेस दल ने कहा कि हमने सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने के लिये ऐसा किया है ।

नियम 311 के अन्तर्गत उठायी गयी सूचना के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने नियम 311 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव रखा । हमारी नियमावली में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन है तो उस पर चर्चा तक नहीं कर सकते । माननीय कल्याण सिंह जी न्यायालय की कस्टडी में हैं, उनका प्रकरण न्यायालय में है तो प्रथम तो यह कि इसे यहां पर उठाने की अनुमति ही नहीं दी जानी चाहिए थी लेकिन आपने अनुमति दी और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने भी अपने तर्क रखे, आपने दूसरे नेताओं को भी सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जवाब दिया अब इसके बाद मान्यवर, सिर्फ आपका काम रह जाता है कि आप अपना निर्णय दे दें । अगर आप फिर सुनने की प्रक्रिया शुरू

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करेंगे तो दूसरे लोग भी बोलना चाहेंगे तो इस तरह से यह अध्याय समाप्त नहीं होगा । मेरा निवेदन है कि आप अपना निर्णय इस पर दे दें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरी बात सुन लें । माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो कहा है, उसी पर सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

उनके व्यवस्था के प्रश्न पर सुन लीजिये ।

माननीय वर्मा जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया, उन्होंने और हमारे बहुत से सदस्यों ने बार-बार इस बात को दोहराया कि यह प्रस्ताव है, प्रस्ताव आया बार-बार आप कह रहे हैं लेकिन यह तो सूचना है । प्रस्ताव अगर कोई होता तो विधिवत लाया जाता, यह प्रस्ताव नहीं मात्र सूचना है और सूचना के लिये जो ग्राह्यता की शर्तें हमने माननीय सदस्यों से सुनी और आप नेताओं से, सभी से बहुत सी बातें सुनी, इसी जिज्ञासा से सुनी थी जिससे हमें अपना निर्णय लेने में सुगमता रहे । अब हम गुप्त जी से दुबारा सिर्फ इसलिये.....

(व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, फिर हमको भी दुबारा बोलने दें ।

श्री अध्यक्ष–

दो मिनट उनको बोलने दें उसके बाद निर्णय होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आपका बहुत-बहुत आभारी हूं कि आपने दुबारा मुझे बोलने दिया ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है ?

आप ने एक ऐसा निर्णय दिया है जिस पर व्यवस्था रखनी पड़ रही है । एक मिनट मेरी व्यवस्था सुन लें ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था का प्रश्न सुनने के लिये तैयार हूं । लेकिन, इस तरह से अगर बात-बात में व्यवस्था का प्रश्न उठायेंगे तो सदन की कार्यवाही आगे कैसे बढ़ेगी । मैं चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही आगे बढ़े । माननीय गुप्त जी की बात 2 मिनट सुन लीजिये, ताकि निर्णय हो जाय और कार्यवाही आगे बढ़े ।

(व्यवधान)

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, नियमों के अन्तर्गत जो प्राविधान है.....

श्री अध्यक्ष–

जो नियम आप उठाना चाहते हैं उससे मैं अवगत हूं माननीय राम आसरे वर्मा जी ने भी बहुत सी बातें कह दी हैं ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, आप इनको सुनेंगे गुप्ता जी को, तो फिर दूसरे भी बोलेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

इसके बाद जो निर्णय होगा वह बाद की बात है ।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी जब बोलेंगे तो उनकी बात आने के बाद दूसरे सदस्य भी बोलना चाहेंगे आप इसको तय कर लें कि दूसरे सदस्यों को भी इनके बाद अवसर दिया जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय वर्मा जी आप कृपा करके बैठ जायें ।

पूर्व मुख्य मंत्री, श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत दी गयी सूचना (क्रमागत)

* श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं दुबारा बोलने का आग्रह बिल्कुल नहीं करता, लेकिन ग्राह्यता का लाभ उठाकर अनेक अनर्गल अप्रासांगिक, तथ्यों से परे बातें कही गयी हैं और इसलिये मैं इसका उत्तर देना अपना दायित्व समझता हूं । पूरे जोर-शोर के साथ कहा गया कि 6 दिसम्बर की घटना राष्ट्रीय शर्म है, मैं साफ-साफ बता देना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर की घटना.....

श्री अध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर ही बोलें । (व्यवधान)

इस तरह से तो सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती, मैंने आपको ग्राह्यता पर बुला लिया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, लोग अनर्गल बातें करते रहें आपने उन्हें टोका नहीं, मैं जब इसका उत्तर देना चाह रहा हूं तो आप रोक रहे हैं । मान्यवर, यहां पर ग्राह्यता पर अप्रासांगिक बातें कही जा रही थी, साफ-साफ आरोप हमारे नेताओं पर लगाया जाता रहा आपने किसी को नहीं टोका, आपके सामने अब नियमावली आ गयी है, मैं साफ-साफ कहना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर का दिन भारतीय इतिहास में राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय अस्मिता का और अंग्रेजों की गुलामी के ढांचे को ध्वस्त करने का एक गौरवशाली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

काम किया है । मान्यवर, जिन्होंने इसे राष्ट्रीय शर्म कहा है, मित्रसेन जी की पार्टी ने स्वतंत्रता संग्राम में आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत गुप्त जी ने जो सूचना दी है उसको मैं निरस्त करता हूं वह ग्राह्य की कोटि में नहीं आती है ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य अपनी-अपनी सीटों पर खड़े होकर नारे लगाने लगे कि "तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी")

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मुझे सुनने का मौका दिया जाये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपकी सूचना को निरस्त करता हूं ।

(विपक्ष के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये और नारे लगाने लगे कि "तानाशाही नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, गुण्डागर्दी नहीं चलेगी-नहीं चलेगी, कल्याण नहीं तो सदन नहीं")

नियम 311 के अन्तर्गत सूचनाएं

आज दिनांक 20-12-93 को प्रक्रिया नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत निम्नलिखित सूचनायें प्राप्त हुईं । पहली सूचना श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त व अन्य माननीय सदस्यों की भारतीय जनता पार्टी विधान दल के नेता श्री कल्याण सिंह को कारावासित किये जाने और सदस्य के नाते शपथ लेने हेतु सदन में बुलाये जाने के संबंध में है और दूसरी सूचना श्री महबूब अली की माननीय मुख्य मंत्री द्वारा बिक्री कर अदा न करने सलाह देने के बावजूद अभी तक बिक्री कर समाप्त न किये जाने के संबंध में है ।

प्रक्रिया नियमावली के नियम 311 के अन्तर्गत कोई भी प्रस्ताव अध्यक्ष की सम्मति से ही उठाया जा सकता है । इस बारे में उन्होंने कोई सम्मति नहीं दी है अतः इन्हें अस्वीकार किया जाता है ।

(भारतीय जनता पार्टी के अनेक सदस्य सदन के फ्लोर पर बैठकर धरना देने व नारे लगाते रहे "कल्याण नहीं तो सदन नहीं")

(घोर व्यवधान के मध्य)

वाराणसी नगर के दक्षिणी क्षेत्र में गम्भीर पेयजल संकट उत्पन्न होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20-12-93 को नियम–301 के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 सूचनाएं प्राप्त हुईं जो पढ़ी हुई मानी जायें।

श्री श्यामदेव राय चौधरी–

[मान्यवर, वाराणसी नगर में दक्षिणी विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत दर्जनों मुहल्लों में विगत कई वर्षों से भयानक पेयजल संकट चला आ रहा है। बहुत से मकानों के निवासियों को तो विगत कई वर्षों से एक बूंद भी पानी का नसीब नहीं हो रहा है। ऐसे मुहल्लों और मकानों की सूची जल संस्थान, वाराणसी को कई बार उपलब्ध कराई जा चुकी है। उन क्षेत्रों का महाप्रबंधक द्वारा कई बार दौरा भी किया जा चुका है परन्तु कोरा आश्वासन के अतिरिक्त वहां के पीड़ित नागरिकों को और कुछ भी आज तक हासिल नहीं हुआ। अनेक क्षेत्रों में सीवर का गंदा पानी पेयजल के साथ आपूर्ति किये जाने की अक्सर शिकायत होती रहती है। अभी पिछले दिनों आदमपुर वार्ड में इसी कारण कई लोगों की मृत्यु भी हुई थी। विभिन्न क्षेत्रों में लगाये गये इंडिया मार्क–2 हैण्ड पम्पों में से अधिकांश खराब होकर पड़े हुए हैं। रिबोरिंग करने योग्य हैण्ड पम्पों को बारम्बार कहने के बावजूद ठीक नहीं कराये जाते हैं। कुछ हैण्ड पम्प तो अधिष्ठापित होने के एक माह के अन्दर ही खराब हो गये। पूर्वांचल विकास निधि का 9.82 हजार रूपया जल निगम को उपलब्ध हो जाने के बावजूद भी नये नलकूप निर्माण का कार्य आज तक प्रारम्भ नहीं किया गया। मंगलागौरी आदि मुहल्लों में जलापूर्ति हेतु बिछाई गई पाइप लाइन को आज तक चालू नहीं किया गया। जल संस्थान तथा जल निगम के अधिकारियों द्वारा जन समस्याओं के प्रति घोर उपेक्षा बरती जा रही है जिससे जनता में भयानक आक्रोश व्याप्त है।

अतः मैं आदरणीय सदन के संज्ञान में उपरोक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय को प्रस्तुत कर जन कष्ट को दूर किये जाने हेतु जलसंस्थान तथा जल निगम, वाराणसी को अविलम्ब निर्देशित किये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां के सभी नलकूपों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम आसरे वर्मा–

[मान्यवर, जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम, माधोगंज एवं मल्लावां के अनेक नलकूप निष्क्रिय पड़े हैं, सभी नलकूपों की नालियां टूट गयी है, परिणामस्वरूप किसान सिंचाई से वंचित रह रहे हैं।

सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए तत्काल सभी नलकूपों को सक्रिय कर नालियों के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन भइया–

[मान्यवर, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय से संबंधित वादों के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के वादकारियों को इलाहाबाद जाना पड़ता है । इससे श्रम व धन का अपव्यय तो होता ही है, वादकारियों को इलाहाबाद तक पहुंचने में दो दिन लगते हैं । विद्वान अधिवक्ताओं को खोजने व वाद तैयार करने में दो दिन और लग जाते हैं इस प्रकार संवैधानिक न्याय प्राप्त करना पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वादकारियों के लिए एक कष्ट साध्य एवं व्यय साध्य समस्या है ।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ खोले जाने की मांग मेरठ के लिए कई वर्ष से उठ रही है मगर कोई कार्यवाही न होने से जनता में असंतोष एवं नाराजगी है । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ की स्थापना हेतु जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट वर्षों से धूल चाट रही है, लेकिन उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया है ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व की इस समस्या को आदरणीय सदन के संज्ञान में लाकर आवश्यक कार्यवाही की मांग करता हूं ।]

जनपद फैजाबाद के थाना अमानीगंज (खण्डासा) के कतिपय गांवों में दलितों एवं हरिजनों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मित्र सेन यादव–

[मान्यवर, मैं एक लोक महत्व की सूचना आपकी अनुमति से आदरणीय सदन और सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत स्थित थाना अमानीगंज, (खण्डासा) के कई गांवों में बड़े पैमाने पर हरिजनों, दलितों अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्ग के लोगों पर जानबूझकर सामन्तियों और स्थानीय पुलिस की साजिश से उत्पीड़न प्राण घातक हमले और हत्याओं की घटनाएं घटती चली आ रही हैं घटनाओं के शिकार लोगों की न तो प्राथमिकी अंकित की जा रही है और न ही घटित घटनाओं के संबंध में दिये गये प्रार्थना-पत्रों पर कोई प्रभावी समयबद्ध कार्यवाही ही सुनिश्चित की जा रही है । ग्राम अजरौली, घटौली, धेरोली, इछोहीं, रौतावां मंझनपुर में घटित घटनाओं के दोषी अपराधिक, असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कोई कार्यवाही न होने के कारण गरीब लोगों में भय–आतंक का वातावरण व्याप्त है और लोगों में असंतोष आक्रोष बढ़ता जा रहा है ।

अतः आपसे अनुरोध है कि तत्काल दोषी सरकारी गैर सरकारी लोगों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही किये जाने की सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

स्वास्थ्य विभाग की अभियंत्रण सेवाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री चरन सिंह–

[मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग की अभियंत्रण सेवाओं में शासन की नीतियों के उल्लंघन को रोकने, प्रशासनिक सुधार करने तथा भ्रष्टाचार उत्पादक व्यवस्था पर नियंत्रण संबंधित लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर मैं सदन के माध्यम से कार्यवाही की मांग करता हूं ।

विभाग के सिविल, यांत्रिक एवं विद्युत कार्यों से संबंधित अधिशासी अभियंता स्तर के वेतनमान रु० 3000–4500 के मात्र लखनऊ के लिए ही सृजित सभी चार पदों में से सभी पदों पर 15 से 20 वर्षों

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

से बिना स्थानान्तरण के तैनात अभियंताओं के स्थानान्तरण हेतु श्री वी० पी० मिश्र, महामंत्री, संयुक्त परिषद् के पत्रों पर सलाहकार एवं मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन कार्यालयों के 26-8-93 के पत्रांकों द्वारा स्वास्थ्य सचिव से मांगी गयी आख्या के विषय पर प्रश्नगत अभियन्ताओं के स्वार्थपूर्ति एवं सांठ-गांठ के कारण त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है । दिनांक 24-6-93 को स्वास्थ्य सचिव के यहां हुई बैठक में योग्यता आधारित हुए निर्णय के विपरीत राज्य स्वास्थ्य परिवहन कर्मचारी तकनीकी संघ द्वारा चिकित्सा अनुभाग–2,5 एवं 7 के शासन के अधिकारियों को दिनांक 30-7-93 व 30-9-93 तथा जुलाई से सितम्बर 93 के बीच प्रेषित पत्रों द्वारा दिये गये तथ्यों एवं संघ के साथ मौखिक वार्ताओं में शासन के अधिकारियों की स्थानान्तरण हेतु प्रदर्शित स्वीकृति परन्तु चुनावी समय में प्रतिबन्ध के कारण रोके गये उक्त प्रत्यावेदनों में प्रस्तावित स्थानान्तरण को शीघ्र कराया जाय तथा पटवाडांगर (नैनीताल) के संघ एवं उक्त कर्मचारी संघों को मंत्री स्तर पर वार्ता कर प्रत्यावेदनों की मांगों पर अविलम्ब कार्यवाही कराई जाय । चारों पदों पर अभियन्ताओं की गत 15 वर्षों की तैनाती एवं योग्यता का विवरण भी दिया जाय । तथा पूर्ण कार्यवाही से सदन को अवगत कराया जाय । स्वच्छ प्रशासन, भ्रष्टाचार निवारण एवं स्वस्थ कार्मिक प्रबन्ध के हित में शासन/कार्मिक विभाग की मूल नीतियों के अन्तर्गत प्रश्नगत तैनातियों को समाप्त करने पर शासन का मन्तव्य औचित्य सहित स्पष्ट किया जाय ।]

जनपद पिथौरागढ़ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों से आम जनता को खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो पाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री महेन्द्र सिंह माहरा–

[मान्यवर, जनपद पिथौरागढ़ में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के माध्यम से मिलने वाली खाद्य सामग्री जनता को नहीं मिल रही है भारतीय खाद्य निगम का जिला मुख्यालय पिथौरागढ़ में स्थित गोदाम विगत कई दिनों से बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है । वहां से ही सम्पूर्ण जिले में गेहूं चावल व चीनी की आपूर्ति की जाती है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों ने अपने पास उपलब्ध गेहूं को बीज के रूप में प्रयोग करके बुवाई कर दी है तथा धारचूला व मुनस्यारी तहसीलों में स्थित उंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ गिरना आरम्भ हो गया है । लगभग एक माह के बाद इन क्षेत्रों के समस्त मार्ग बर्फ से अवरुद्ध हो जायेंगे जो कि अप्रैल 1994 के आस-पास बर्फ पिघलने के बाद ही खुल पायेंगे यदि इन क्षेत्रों में एक माह के अन्दर खाद्य सामग्री की आपूर्ति नहीं हो पायेगी तो भुखमरी की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी ।

यह भी ज्ञातव्य है कि सितम्बर, 1993 में हुई अतिवृष्टि से जनपद की सम्पूर्ण फसल नष्ट हो गई थी जिससे स्थिति और भी घोर संकटपूर्ण व भयावह बन गई है । खुले बाजार में इन वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लगी हैं । इस विस्फोटक व संकटपूर्ण समस्या से सरकार को बार-बार अवगत कराने के बाद भी वहां की जनता की उपेक्षा की जा रही है जिससे जनता में व्याप्त आक्रोश है । स्थिति बहुत गम्भीर, अमानवीय व अप्रजातांत्रिक सी हो गई है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाकर माननीय खाद्य मंत्री से इस भयावह स्थिति को दूर करने हेतु तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने की मांग करता हूं।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20-12-93 को प्रक्रिया नियमावली के नियम–300 के अन्तर्गत चार सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री प्रमोद तिवारी, श्री रामआसरे वर्मा व श्री ऊदल की दिनांक 11 मई, 1992 को माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देश के अनुसार श्री अफजाल अंसारी, सदस्य, विधान सभा के घर पुलिस द्वारा गैर कानूनी ढंग से की गयी लूटपाट के बारे में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्र कुमार द्वारा की गयी जांच के संबंध में, दूसरी श्री प्रमोद तिवारी, श्री जगदम्बिका पाल व श्री नरेश अग्रवाल की विधान सभा के सत्र के समय माननीय मुख्य मंत्री द्वारा 19 दिसम्बर, 1993 को राज्य के कृषि मजदूरों के कल्याण एवं उनके हितों को प्राथमिकता देते हुए दैनिक मजदूरी की दरों में न्यूनतम रु० 10 की वृद्धि किये जाने के संबंध में है, तीसरी सूचना श्री नरेश अग्रवाल की दिनांक 16 दिसम्बर, 1993 को सदन के भीतर घटी घटनाओं के बारे में हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराये जाने के संबंध में है, चौथी सूचना श्री महबूब अली की दिनांक 16 दिसम्बर, 93 को सदन में घटी घटना की जांच हेतु सदन की समिति गठित किये जाने के संबंध में है।

(घोर व्यवधान के मध्य श्री अध्यक्ष ने औचित्य के सभी प्रश्नों को अस्वीकार करते हुए कहा कि माननीय सदस्य इसे कल भी दे सकते हैं)

विधान सभा की विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों के नाम निर्देशन हेतु श्री अध्यक्ष को प्राधिकृत किये जाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

अब मैं एक सूचना सदन को देना चाहता हूं।

उत्तर प्रदेश बारहवीं विधान सभा की वर्ष 1993-94 की "लोक लेखा समिति", "प्राक्कलन समिति", "अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति", "सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति", और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के निर्वाचन हेतु निम्नलिखित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है :–

1–नाम-निर्देशन करने की अन्तिम तिथि तथा समय	मंगलवार 21 दिसम्बर, 1993 को अपराह्न 4.00 बजे तक
2–नाम-निर्देशन-पत्रों की संवीक्षा की तिथि तथा समय	बुधवार, 22 दिसम्बर, 1993 को अपराह्न 3.00 बजे सचिव, विधान सभा के कार्यालय कक्ष में।
3–नामों की वापसी की तिथि तथा समय	शुक्रवार, 24 दिसम्बर, 1993 को अपराह्न 4.00 बजे तक

4–निर्वाचन, यदि आवश्यक हुआ तो, मतदान

(क) लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति तथा सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति के लिए	बुधवार, 29 दिसम्बर, 1993 को
(ख) मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों के लिए	गुरुवार, 30 दिसम्बर, 1993 को

विधान मण्डल पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ में पूर्वाह्न 10.30 बजे से 4.00 बजे तक होगा ।

उक्त निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्तानुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा किया जायेगा ।

उक्त निर्वाचनों संबंधी नाम-निर्देशन-पत्र पटल कार्यालय से कार्यालय समय के भीतर प्राप्त किये जा सकते हैं ।

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्यमंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, यह सदन प्रस्ताव करता है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की वर्ष 1993-94 की लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा विमुक्त जातियों संबंधी संयुक्त समिति, सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम संयुक्त समिति और मंत्रियों को परामर्श देने वाली 30 स्थायी समितियों में सदस्यता के लिए संबंधित नियमों एवं संकल्पों के उपबन्धों को उस सीमा तक निलम्बित करते हुए जहां तक वे उक्त समितियों की निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित हैं, यह सदन श्री अध्यक्ष को, उक्त सभी समितियों में वर्ष 1993-94 के लिए अपेक्षित संख्या में विधान सभा के सदस्यों को नाम-निर्देशित करने हेतु इस अनुरोध के साथ प्राधिकृत करता है कि वे कृपया उक्त समितियों में नाम-निर्देशन कर दें तथा उसके बाद उक्त वर्ष में उक्त समितियों में आकस्मिक रिक्तियों की, यदि कोई हो, पूर्ति के लिए यथा-समय सदस्यों को नाम-निर्देशित करने के लिए प्राधिकृत करता है और यह निश्चय करता है कि इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्य उक्त समितियों में संबंधित नियमों एवं संकल्पों की अपेक्षानुसार विधिवत् निर्वाचित समझे जायेंगे ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, उससे सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

(व्यवधान के मध्य)

गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्ध बोर्ड में कार्य करने हेतु दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्तनगर के प्रबन्ध

बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पन्त नगर के प्रबन्ध बोर्ड पर कार्य करने के लिये उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों का निर्वाचन करें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने हेतु दो सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये, यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइब्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (11) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, का निर्वाचन करें।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि "यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, उत्तर प्रदेश नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज कौंसिल में कार्य करने के लिये, यू० पी० नर्सेज एण्ड मिडवाइब्ज, असिस्टेंट मिडवाइब्ज, आग्जिलियरी नर्स मिडवाइब्ज एण्ड हेल्थ विजिटर्स रजिस्ट्रेशन ऐक्ट, 1934 की धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (बी) के उपखण्ड (11) के अनुसार विधान सभा के दो सदस्यों, जिनमें एक महिला सदस्य होगी, का निर्वाचन करें।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

नोटः–† दिनांक 17-1-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश मोटर स्प्रिट, डीजल आयल तथा अल्कोहल बिक्री-कराधान (संशोधन और वैधीकरण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करता हूं।

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से, उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(समय 2 बजकर 20 मिनट)

(व्यवधान के मध्य)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) (निरसन) विधेयक, 1993 को पुरः स्थापित करता हूं।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य सदन की वेल पर बैठ रहे)

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब मैं सदन की कार्यवाही को 4.55 मिनट तक के लिये स्थगित करता हूं।

(तत्पश्चात् घोर व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 2 बजकर 25 मिनट पर सदन की कार्यवाही अपराह्न 4 बजकर 55 तक के लिए स्थगित कर दी। अपराह्न 4 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

नोट :– † दिनांक 17-1-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत) '†

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या–12 पर महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा आगे जारी रहेगी ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करता हूं ।

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 †

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

---

†† दिनांक 15-12-93 की कार्यवाही से

नोटः–† दिनांक 17-1-94 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण) विधेयक, 1993 को पुरःस्थापित करता हूं।

'उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993†

लोक निर्माण तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर मैं, आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993, को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश लोक सेवा (पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (संशोधन) विधेयक, 1993, को पुरःस्थापित करता हूं।

वित्तीय वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुदान

लोक निर्माण एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)–

मान्यवर, मैं वित्तीय वर्ष 1993-94 के प्रथम अनुपूरक अनुदानों की मांगों का विवरण प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रतियां बांटी जायं।

(अनुपूरक अनुदानों की मांगों की प्रतियां बांटी गयी)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 20 दिसम्बर, 1993 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 3 सूचनायें प्राप्त हुईं–पहली सूचना श्री बची सिंह रावत की पर्वतीय सेवा उप-संवर्ग नियमावली 1992 को लागू न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है जिसे अस्वीकार किया जाता है।

---

† दिनांक 17-12-93 की कार्यवाही से

दूसरी सूचना श्री इरशाद की–जनपद सुल्तानपुर के थाना बाजार शुक्ल के थानाध्यक्ष व कतिपय सिपाहियों द्वारा क्षेत्र के अनुसूचित जातियों व अल्प संख्यकों के उत्पीड़न से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है–इसे केवल वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है ।

तीसरी सूचना श्री महबूब अली की जिला महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी, मुरादाबाद (श्रीमती मधुलिका गुप्ता) के आत्म हत्या काण्ड की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कराये जाने के संबंध में है यह वक्तव्य के लिये स्वीकार किया जाता है ।

श्री मित्रसेन यादव–

कब होगा वक्तव्य ?

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं कल पुनः 11 बजे बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन 5 बजकर 5 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।

लखनऊ :
20 दिसम्बर, 1993

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी० एस० यू० पी०–एल० 143 विधान सभा (292)–1994–813 (डी० टी० पी०) ।